इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न कोटि–1)
कॉरपोरेट कार्यालय : 9वीं मंज़िल बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001.
फोन : 011–23311263–64 (ईपीबीएक्स), फैक्स : 011–23311259

वार्षिक रिपोर्ट 2010–2011

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न कोटि–1)

विषय–सूची

प्रलेख	पृष्ठ सं
अध्यक्ष का संबोधन	1-3
निदेशकों की रिपोर्ट	4-19
निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध	
1. अनुबंध– I : प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	20-26
2. अनुबंध – II : ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्यागिकी समाहरण, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय आदि।	27-28
3. अनुबंध – III : समवेत अभिशासन रिपोर्ट	29-36
4. अनुबंध– IV : समवेत अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र	37
लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध	38-42
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	43
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	44
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण	45
तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा के लिए संलग्न अनुसूचियाँ	46-53
लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ	54-78
तुलन–पत्र सार एवं कॉरपोरेशन के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	79
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ	80-81
दस वर्ष की वित्तीय उपलब्धियां	82

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री विनय मित्तल,
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं सदस्य यातायात

प्रबंध निदेशक

श्री राकेश कुमार टंडन,

कार्यरत निदेशक

डॉ. नलिन सिंघल,
निदेशक (पर्यटन व विपणन)

श्री विनोद अस्थाना,
निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री विश्व रंजन गुप्त
निदेशक (वित्त)

सरकारी निदेशक

श्रीमती मनी आनंद
कार्यपालक निदेशक(टी.एंड सी.)
रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. एन. भारद्वाज
श्री आर. के. अग्रवाल

लेखा–परीक्षा समिति

अध्यक्ष

श्री आर.एन.भारद्वाज,

सदस्य

श्री विनोद अस्थाना,
श्री आर. के. अग्रवाल

बैंकर्स :

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसके सहायक बैंक
6. कॉरपोरेशन बैंक
7. ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. सिंडीकेट बैंक
9. केनरा बैंक
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. आंध्र बैंक
13. इण्डियन बैंक
14. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
15. सिटी बैंक
16. एक्सिस बैंक लिमिटेड
17. स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18. यस बैंक
19. यूको बैंक
20. विजया बैंक
21. फेडरल बैंक
22. कर्नाटका बैंक लिमिटेड
23. इन्ड्सइन्ड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय

9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

कॉरपोरेट कार्यालय का भाग

दूसरी व पांचवीं मंजिल, एसटीसी बिल्डिंग, जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001

इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय :

नया परिचालन केन्द्र, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय,
आईआरसीए कॉम्प्लैक्स, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली–110055.

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :

उत्तर रेलवे का वायरलेस स्टेशन एरिया, नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली–110041.

कंपनी सचिव :

श्री नीरज कुमार अग्रवाल

सांविधिक लेखा–परीक्षक :
मैसर्स भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :
लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. बैरक्स के दक्षिण में, खगौल,
(दानापुर)–801105 (बिहार)

रेलनीर संयंत्र, पलूर
पलूर रेलवे स्टेशन तालुक चेंगलपट्टू
जिला कांचीपुरम
तमिलनाडु –603101

जोनल कार्यालय

उत्तर जोन :
जिंजर रेलयात्री निवास,
भू–तल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
अजमेरी गेट साइड,
नई दिल्ली–110001

पूर्व जोन I एवं II :
पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग,
3, कोयलाघाट स्ट्रीट,
कोलकाता–700 001

पश्चिम जोन :
दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग, सेन्ट्रल रेलवे,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल,
मुम्बई–400 001

दक्षिण जोन :
6ए, द रेन ट्री प्लेस,
9 मैक निकोलस रोड, चेटपेट,
चेन्नै–600 031

दक्षिण–मध्य जोन :
दूसरी मंजिल, एम श्री क्लासिक कॉम्प्लैक्स,
सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद–500 003

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकगण,

कॉरपोरेशन की बारहवीं सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

हम यहां 31 मार्च, 2011 को समाप्त तुलन पत्र उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखा और निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये प्रलेख पहले से ही आपके पास हैं, और मैं यह मान लेता हूँ कि आप ने इन्हें पढ़ लिया होगा।

अब मैं वर्ष 2010–11 के दौरान कार्पोरेशन के निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

वित्तीय निष्पादन

- जबकि वित्त वर्ष 2011 के दौरान कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2010 में 94.76 करोड़ रू. की तुलना में 129. 79 करोड़ रू. था, वित्त वर्ष 2011 में शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2010 के 63.05 करोड़ रूपए की तुलना में घटकर 60.79 करोड़ रूपए हो गया, ऐसा आयकर के लिए उच्चतर व्यवस्था करने के कारण हुआ।

- जबकि विभागीय खानपान से प्राप्त राजस्व 2010–2011 के दौरान पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बढ़कर 198.98 करोड़ रूपए अर्थात् इसमें 50 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई वहीं हानि भी 2010–11 में 74.74 करोड़ से घटकर 55.47 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि यह उत्साहवर्धक है, तथापि हमें घाटे में और कमी लानी है।

वित्तीय निष्पादन के कुछ अन्य उल्लेखनीय संकेतक इस प्रकार हैं:–

- कॉरपोरेशन का शुद्ध मूल्य 211.41 करोड़ रूपए हो गया है।

- खानपान व्यवसाय रेलवे के पास चले जाने के बाद भारतीय रेल को आईआरसीटीसी द्वारा दिए जाने वाला राजस्व अंशदान घट गया है लेकिन आरक्षित टिकटों की बुकिंग बढकर पिछले वर्ष के 6011 करोड़ रूपए के स्थान पर 8007 करोड़ रूपए हो गई जो कि काफी उत्साहजनक है।

- 31 माार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन के लेखों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और पूरक लेखा परीक्षा में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली।

लाभांश

निदेशक मंडल ने वर्ष 2010–11 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 14.13 करोड़ रूपए (1.97 करोड़ रूपए लाभांश कर सहित) के भुगतान की सिफारिश की है। यह कार्पोरेशन की प्रदत्त शेयर पूंजी का 70.65 प्रतिशत बनता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों की पूरक लेखा परीक्षा की और उस पर अपनी शून्य टिप्पणी दी है।

परिचालन निष्पादन

खानपान एवं आतिथ्य सत्कार

नए नीतिगत निदेशों के अंतर्गत कार्पोशन का मोबाइल खानपान व्यवसाय मार्च 2010 के अंत में 285 गाड़ियों से घटकर मार्च 2011 के अंत में 33 गाड़ियां ही रह गया है।

फूड प्लाजाओं से भिन्न लाइसेन्सी स्थैतिक इकाइयां, थोडी सी शेष बची इकाइयों को छोड़कर, रेलवे को अंतरित हो गई हैं।

वर्ष के दौरान 7 और फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां खुल गई हैं और अब इनकी संख्या बढ़कर 85 हो गई है।

कॉर्पोरेशन ने अन्य संस्थानों में अब तक 24 इकाइयां खोल दी हैं। अपने कारोबार में विविधता लाने की दिशा में कार्पोरेशन ने किओस्क और फूड प्लाजाओं को खोलने के लिए डीएमआरसी, बीपीसीएल, और एचपीसीएल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

रेलनीर :

वर्ष के दौरान नांगलोई और दानापुर में रेलनीर का उत्पादन क्रमशः 3.28 करोड़ बोतल और 3.12 करोड़ बोतल रहा है। जबकि प्रत्येक प्लांट की स्थापित क्षमता 3.34 करोड़ बोतलें हैं।

यात्रा एवं पर्यटन

कार्पोरेशन के पर्यटन पोर्टल www.railtourismindia.com पर अक्सर लोग हिट करते हैं और पर्यटकों के विभिन्न समूहों की यात्रा और पर्यटन संबंधी विभिन्न सेवाएं और जानकारियां प्राप्त करते हैं।

इंटरनेट टिकटिंग

मार्च 2011, के दौरान कार्पोरेशन की वेबसाइट के जरिए बेची गई औसत दैनिक टिकटों की संख्या 2,79,113 थी जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी का सूचक है। कार्पोरेशन रेल की पूछताछ सेवा का जिसे रेल संपर्क 139 के नाम से जाना जाता है, पीपीपी आधार पर प्रबंधन करता है।

भावी प्रगति की रणनीति

कार्पोरेशन को आतिथ्य सत्कार, पर्यटन, ई–कॉमर्स और बोतलबंद पेयजल के क्षेत्र में अपनी व्यापक क्षमताओं के दोहन का पूर्ण विश्वास है और यह अपने इस नए अवतार में उत्कृष्टता लाने के लिए अपने आपको चाक चौबंद कर रहा है।

खानपान एवं आतिथ्य सत्कार

यह कार्पोरेशन शीघ्र ही नोयडा में लगभग 25000 थाली प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला एक अधुनातन सेन्ट्रल किचन (फूड फैक्टरी) खोल रहा है। कार्पोरेशन की, आगे और विविधता लाने के उद्देश्य से संबद्ध क्षेत्रों जैसे – फूड फैक्टरी, फेसिलिटी प्रबंधन, फूड पार्क, बजट होटल, मोटल, आतिथ्य सत्कार केन्द्र आदि खोलने की योजना है। इसके लिए वह अपनी मौजूदा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करेगा। कार्पोरेशन मॉल्स, व्यापार केन्द्रों, संस्थागत खानपान आदि के क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगा रहा है।

रेलनीर

बोतलबंद पेयजल की एक और इकाई अम्बर नाथ (मुंबई) में खोली जा रही है। जिसकी 2 लाख बोतल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता होगी। इसके वित्त वर्ष 12–13 तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है।

बजट होटल

कार्पोरेशन का लक्ष्य स्टेशनों के समीप ही किफायती दामों पर मानक साफ–सफाई वाले स्थान मुहैया कराने के लिए पीपीपी आधार पर सभी प्रमुख स्टेशनों पर बजट होटलों की स्थापना करने का है।

पर्यटन

कार्पोरेशन की आगामी वर्षो में मौजूदा व्यवसायगत आधार का विस्तार करके और कार्पोरेट यात्रा तथा देश में आने वाले यात्रियों के लिए नए आधार का विकास करके पर्यटन व्यवसाय में और अधिक विस्तार करने की योजना है।

ई –कामर्स

कार्पोरेशन को आशा है कि वह यात्रियों को ई–टिकटिंग की सुविधा प्रदान करता रहेगा और इस क्षेत्र में आगे और प्रगति करेगा और उसका लक्ष्य है कि सभी आरक्षित टिकटों का 80 प्रतिशत आरक्षण कार्य इसके द्वारा किया जाए। हाल ही में आई ए टी ए से मान्यता मिलने के बाद कार्पोरेशन की योजना है कि हवाई यात्रा की टिकटों के व्यवसाय में भी प्रवेश किया जाए।

कार्यनिष्पादन की समीक्षा

भारत सरकार में रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वित्त वर्ष 2010 में कार्पोरेशन के कार्यनिष्पादन को ''उत्कृष्ट'' की कोटि में रखा गया है। इस रूख को भविष्य में भी बनाए रखना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कार्पोरेशन के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को देखते हुए वर्ष के दौरान कार्पोरेशन को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

राजभाषा

कार्पोरेशन ने भारत सरकार की नीति के अुनरूप राजभाषा कार्यान्वयन पर बल देना जारी रखा है। निगम में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ई–टिकटिंग साइट द्विभाषी है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति ''अपने रेल यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेयर धारकों कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी संबंधित पक्षकारों के प्रति एक सजग और दायित्वपूर्ण कार्पोरेट के रूप में बने रहना'' है। वर्ष 2010–11 के लिए कार्पोरेशन द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दाायित्व से संबंधित गतिविधियों के लिए 2.25 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई थी।

मैं अपनी ओर से और कार्पोरेशन के निदेशक मंडल की ओर से निवर्तमान अध्यक्ष, श्री विवेक सहाय, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड, अंशकालिक सरकारी निदेशक, श्री नरेश सलेचा, कार्यपालक निदेशक वित्त (वाणिज्य) और अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक श्री जगदीप छोकर और श्री आलोक शिवपुरी का, उनके द्वारा दिए बहुमूल्य मार्गदर्शन, की गई सेवाओं के लिए, आभार व्यक्त करता हूँ।

समापन से पहले, मैं सभी शेयर धारकों द्वारा कार्पोरेशन में विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत सरकार, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, और जोनल रेलों का उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

अंत में, मैं अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा हमारी संबद्ध एजेन्सियों द्वारा कार्पोरेशन के समग्र विकास और प्रगति के लिए दर्शाई गई प्रतिबद्धता, लगन और समर्पण की भावना से किए गए कार्य के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद,

हस्ता.
(विनय मित्तल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिल्ली : 22 सितंबर, 2011

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारकगण

निदेशकों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2010–11 के दौरान कार्पोरेशन ने वर्ष 2009–10 में 721.97 करोड़ रूपए की तुलना में 764.93 करोड़ रूपए की कुल आमदनी प्राप्त की जो कि एक नया रिकार्ड है और यह लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि का परिचायक है। लाइसेन्सी खानपान नीति और इंटरनेट टिकट बुकिंग में सेवा प्रभारों में कमी के चलते इस वृद्धि को संतोषजनक कहा जा सकता है।

वर्ष 2010–11 में 129.79 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ (जो कि एक नया रिकार्ड है) प्राप्त किया जबकि पिछले वर्ष यह 94.76 करोड़ रूपए था। इस प्रकार इसमें लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा कार्पोरेशन में लागत में कमी लाने वाले अनेक उपायों को अपना कर किया गया है, विशेषकर, विभागीय, खानपान के क्षेत्र में हानियों को घटाकर 55 करोड़ तक किया गया है जबकि पिछले वर्ष यह घाटा 75 करोड़ रूपए था बहरहाल, शुद्ध लाभ में मामूली सी कमी आई है जो 2009–10 के 63.05 करोड़ रूपए की तुलना में 2010–11 में 60.79 रूपए था इसकी वजह आयकर के लिए अधिक व्यवस्था करना था। 20.07.2010 से नई खानपान नीति की घोषणा तक ढुलाई प्रभार के लिए 9.12 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

कार्पोरेशन का शुद्ध मूल्य 200 करोड़ रूपए के आंकड़े को पार कर गया है और यह 31.03.2010 को 211.41 करोड़ रूपए था जबकि 31.03.2010 को यह 162.76 करोड़ रूपए था।

कार्पोरेशन द्वारा अर्जित लाभ को निम्नलिखित रूप से विनियोजित किया गया है:–

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	129.79	94.76
कर के लिए प्रावधान	68.06	34.52
आस्थगित कर	–	(2.81)
करोपरांत लाभ	60.79	63.05
अग्रेणीत लाभ	12.84	9.54
आरक्षित में अंतरित	45.00	45.00
लाभांश(लाभांश कर सहित)	14.13	14.75
तुलन पत्र के लिए अग्रेणीत लाभ	**14.50**	**12.84**

2. रेलवे के राजस्व में अंशदान

वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष के 82.28 करोड़ रूपए की तुलना में 55. 59 करोड़ रूपए का अंशदान किया। रेलवे के राजस्व में किए गए अंशदान में ढुलाई प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेन्स फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लांभाश शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा वर्ष के दौरान 8007 करोड़ रूपए की टिकटें बुक की गईं जबकि पिछले वर्ष के दौरान 6011 करोड़ रूपए की टिकटें बुक की गई थी।

3. लाभांश

वर्ष 2010 – 2011 के दौरान लाभांश कर को छोड़कर 12.16 करोड़ रूपए के लाभांश (शुद्ध –लाभ का 20 प्रतिशत) की सिफारिश की गई है जबकि पिछले वर्ष में 12.61 करोड़ रूपए (शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था।

4. पूंजीगत संरचना

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कार्पोरेशन की प्रदत्त शेयर पूंजी 20.00 करोड़ रूपए थी। कार्पोरेशन की पूरी प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है। वर्ष के दौरान, प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5. व्यवसाय संबंधी निष्पादन

कार्पोरेशन के व्यवसाय संबंधी मुख्य कार्य क्षेत्र / गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

(i) खानपान एवं अतिथि सत्कार

(ii) इंटरनेट टिकटिंग

(iii) यात्रा एवं पर्यटन

(iv) बोतलबंद पीने का पानी (रेलनीर)

(I) खानपान एवं अतिथि सत्कार

मौजूदा खानपान सेवाओं में समग्र सुधार के चलते गत वर्षों के दौरान कार्पोरेशन की खानपान सेवाओं में कई गुणा वृद्धि हुई। अधिकांश खानपान युनिटें आई एस ओ प्रमाणित थीं।

रेल मंत्रालय द्वारा 21.07.2010 नई खानपान नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में यह व्यवस्था थी कि फूड प्लाजाओं, फास्ट फूड यूनिटों और फूड कोर्टों को छोड़कर लाइसेन्सी और विभागीय खानपान सेवा रेलवे को सौंप दी जाए। जबकि 31 मार्च, 2011 को अधिकांश लाइसेन्सी खानपान यूनिटें रेलवे को सौंप दी गई हैं, अधिकांश विभागीय खानपान अभी भी रेलवे द्वारा ले लिए जाने तक आईआरसीटीसी के पास ही मौजूद है।

(i) मोबाइल खानपान

वर्ष के दौरान कार्पोरेशन की मोबाइल खानपान गतिविधियां 31.03.2010 के अंत तक मौजूद 285 गाड़ियों से घटकर 31.03.2011 के अंत तक 33 गाड़ियों तक ही रह गई थी। आईआरसीटीसी सभी नई चलाई गई दूरंतो गाड़ियों में खानपान सेवाएं मुहैया करा रही है। यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योकि भारतीय रेलोंपर पहली बार शयनयान श्रेणी में अनिवार्य रूप से खानपान सेवा लागू की गई है और इसलिए भी कि इन गाड़ियों में सरंचनात्मक कमियां भी हैं।

(ii) स्थैतिक खानपान

जहां तक स्थैतिक खानपान का संबंध है, इनकी संख्या 31.03.2010 को मौजूद 7000 यूनिटों से घटकर 31.03.2011 को 250 यूनिटें रह गई थी और वे भी रेलवे को अंतरित किए जाने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। जहां तक विभागीय यूनिटों का संबंध है ऐसी सभी यूनिटें (लगभग 670) आईआरसीटीसी के पास बनी हुई है इन्हें भी बाद के चरणों में अंतरित किया जाएगा।

(iii) बुक स्टाल

इस समय आईआरसीटीसी भारतीय रेलों के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 1271 बुक स्टालों का काम देख रहा है। बुक स्टालों को अपग्रेड करने तथा नए आबंटन का काम नहीं किया जा सका क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायलय ने इस पर रोक लगा दी है और रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

(iv) सांस्थानिक खानपान और मंत्रालय कैफेटेरिया

रेलवे खानपान के अलावा आईआरसीटीसी ने विभिन्न संस्थानों और मंत्रालयों में उन्हीं के स्थान पर उचित एवं तर्कसंगत कीमतों पर कैफेटेरिया की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। कार्पोरेशन ने ऐसी 2 इकाइयां और खोली हैं। इस प्रकार, मार्च 2011 तक इनकी संख्या 8 हो गई थी। अगस्त 2011 तक 14 और ऐसी इकाइयां खोल दी गयी हैं। ये खानपान इकाइयां पूरी तरह वातनुकूलित हैं और सुरूचिपूर्ण वातावरण में स्थित हैं। शाकाहारी और माँसाहारी भोजन जिसमें उत्तर–भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज, कांटीनेन्टल, चाट, अल्पाहार और पेय आदि शामिल हैं, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं और जिन्हें व्यापक रूप से सराहा गया है। परोसा जाने वाला भोजन उच्च गुणवत्ता वाला होता है और यह आई एस ओ/एच ए सी सी पी मानकों के अनुरूप होता है।

(v) बजट होटल

आईआरसीटीसी, पी पी पी आधार पर चार होटलों/रेल यात्री निवास का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। ये होटल हैं रेल यात्री निवास नई दिल्ली और हावड़ा में तथा बी एन आर होटल रांची और पुरी में (रेल धरोहर होटल)। आईआरसीटीसी ने भुवनेश्वर में बजट होटल की स्थापना के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है यहां राज्य सरकार ने आईआरसीटीसी को भूमि का आबंटन कर दिया है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली

आईआरसीटीसी सर्वोत्तम इन हाउस प्रयोगशाला और आर एंड डी सेन्टर के साथ गुणवत्ता मानकों तथा एच ए सी सी पी/आई एस ओ 22,000 के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करता है।

(i) एच ए सी सी पी अनुपालन की निगरानी

खानपान सेवा उपलब्ध कराने वाले व्यावसायिक अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सभी जोनल कार्यालयों से गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों को लगाया गया है और उन्हें एच ए सी सी पी के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भोजन उत्पादन स्थलों पर अस्थाई रूप से लगाया जाता है।

(ii) निगरानी प्रणाली –ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

भोजन और साफ सफाई की गुणवत्ता का पर्याप्त रूप से आकलन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण से किया जा सकता है और आईआरसीटीसी तीसरे पक्ष के जरिए ऐसे सर्वेक्षण व्यावासायिक रूप से करवाता रहता है।

(iii) भोजन संरक्षा जांच

जनता के स्वास्थ्य पर भोजन संरक्षा के पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आईआरसीटीसी द्वारा तीसरे पक्ष के जरिए मान्यताप्राप्त केन्द्रों में परीक्षण प्रयोगशालाओं में भोजन संरक्षा जांच की जाती है।

(iv) खानपान इकाइयों का आई. एस. ओ. प्रमाणन

खानपान सेवाओं की गुणवत्ता को विभिन्न आई.एस.ओ. प्रमाणनों सहित विभिन्न गुणवत्ता वाले उपायों के जरिए बढ़ाया जाता है। आईआरसीटीसी अपनी खानपान इकाइयों का आई.एस.ओ. प्रमाणन मान्यता प्राप्त एजेन्सियों के माध्यम से करवाता रहा है। लाइसेन्सियों के 158 बेस किचनों में से 124 को पहले ही आई.एस.ओ. प्रमाणन के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। लाइसेन्सियों द्वारा परिचालित बेस किचनों को मोबाइल यूनिटों सहित जोनल रेलों को अंतरित कर दिया गया है।

(v) चौबीसों घंटे नियंत्रण परिचालन

खानपान सेवाओं की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय नियंत्रण स्थापित किया गया है जो यात्रियों को सुगम पहुंच सुलभ कराने के लिए पूरी तरह से फोन, फैक्स , ब्रॉड बैन्ड कनेक्टिविटी वाले पी सी से सुसज्जित है। राष्ट्रीय टॉल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, जोनल कार्यालयों में भी खानपान सेवाओं की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए जोनल नियंत्रण कार्यालय मौजूद हैं। नियंत्रण कार्यालय खानपान परिचालनों पर नज़र रखते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप शिकायतों को टेलीफोन पर प्राप्त करके उनका मौके पर ही समाधान करते हैं। गाड़ी परिचालन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोताही के लिए खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं कों सूचित करता है।

(II) इंटरनेट टिकटिंग

ई–टिकटिंग निष्पादन

ई–टिकटिंग, ई–गवर्नेंस की सफलता की सबसे बड़ी कहानी है और इसने उस पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया है जिसमें आम आदमी का रेलवे से सरोकार पड़ता है। इससे सुविधा की दृष्टि से बहुत लाभ हुआ है और समय और श्रम की बचत हुई है। तथा पारदर्शिता के साथ–साथ भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है जिससे रेलयात्रियों को बहुत सुविधा हुई है।

ई–टिकटिंग की त्वरित वृद्धि, ग्राहकों के लिए न केवल पूरी प्रक्रिया की सरलता से हुई है बल्कि ई–आरक्षण के लिए स्थापित शक्तिशाली प्रक्रिया के कारण भी हुई है जिसके तहत सभी प्रकार के क्रेडिट कार्डो, अधिकांश डेबिट कार्डों, कैश कार्डों की सुविधा, नेट बैंकिंग की सुविधा और पांच प्रमुख भुगतान साधनों के जरिए टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। इसमें तत्काल ऑनलाइन धनवापसी सुविधा से भी मदद मिली है। आम आदमी भी, जिसके पास कंप्यूटर/नेट की सुविधा नहीं है, 500 शहरों और कस्बों में फैले हुए (लगभग 1.5 लाख) विभिन्न आउटलेटों के माध्यम से भी ई–टिकट खरीद सकता है। यात्रियों की और मदद करने के लिए वर्ष के दौरान सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच (बुकिंग का अत्यधिक महत्वपूर्ण समय) केवल सीधे यात्रियों को ही टिकट बुक कराने की अनुमति थी उस समय एजेन्टों को टिकट बुक कराने की अनुमति नहीं थी। वर्ष के दौरान बेईमान व्यक्तियों द्वारा ई–टिकट की बुकिंग में अनधिकृत प्रक्रियाओं को रोकने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए गए थे। पंजीकरण की प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया था। वर्ष के दौरान आईटी भ्रष्टाचार रोधी कक्ष भी स्थापित किया गया था। साइट को और अधिक उपभोक्ता हितैषी बनाया गया था और तकनीकी दृष्टि से भी इसे समुन्नत बनाया गया था। प्रणाली में आने वाले दोषों का पता लगाने तथा एस क्यू टी सी के जरिए सुरक्षा और प्रक्रियात्मक लेखा परीक्षाएं की गई थी और कमियों को दूर किया गया था। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

इंटरनेट टिकटिंग भी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इस समय यह भारतीय रेल पर होने वाले कुल आरक्षण का 40 प्रतिशत काम सम्हाल रही है। हाल ही में हमने केवल एक दिन में चार लाख टिकटों की रिकार्ड बिक्री की। वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 8007 करोड़ रूपए की टिकटें बुक की गई जबकि पिछले वर्ष में यह संख्या 6011 करोड़ रूपए थी। वर्ष 2010–11 में वेबसाइट के जरिए बुक की गई। टिकटों की कुल संख्या (ई और आई दोनों प्रकार की टिकटों की मिलाकर) 9.69 करोड़ थी (17.42 करोड़ यात्री) जबकि 2009–10 के दौरान कुल 7.20 करोड़ (12.92 करोड़ यात्री) थी।

इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग 00.30 बजे से 23.30 बजे तक वर्ष के 365 दिनों उपलब्ध रहती है। आईआरसीटीसी ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार लाने के लिए मौजूद अवसंरचना में वृद्धि करने की प्रक्रिया में है।

139 रेल संपर्क

आईआरसीटीसी यात्री पूछताछ के लिए पी पी पी आधार पर **रेल संपर्क 139 (भारतीय रेलों की एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली)** का प्रबंधन करती है। 2010–11 में 24.68 करोड़ फोन पर कालें और 2.61 एस एम एस सम्हाले गए थे जबकि 2009–10 में यह आंकड़े क्रमशः 23.11 करोड़ तथा 1.25 करोड़ थे।

(III) यात्रा एवं पर्यटन

आईआरसीटीसी पर्यटकों की विभिन्न तबकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के यात्रा एवं पर्यटन उत्पाद और सेवाएं मुहैया कराता है। इनमें भारत दर्शन पर्यटक गाड़ियां, शैक्षणिक टुअर्स, महापरिनिवार्ण एक्सप्रेस बौद्ध परिपथ विशेष गाडी, रेल एवं सड़क टुअर पैकेज, चार्टर्ड रेल गाड़ियां एवं सवारी डिब्बे, हिल चार्टर लग्जरी टूरिस्ट गाड़ियां, किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराना– ऑनलाइन होटल बुकिंग सेवा, ऑनलाइन एयर टिकटिंग और बजट होटल शामिल हैं।

यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय से वर्ष 2010–11 में 67.04 करोड़ रूपए की आय हुई जबकि वर्ष 2009–10 में यह राशि 44.72 करोड़ रूपए थी, इस प्रकार इस मद में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत दर्शन पर्यटन गाड़ी (विलेज ऑन व्हील्स)

आईआरसीटीसी बजट पर्यटकों के लिए भारत दर्शन पर्यटन गाड़ियां चलाता है। जिनमें यात्रीगण 500 रूपए प्रतिदिन की दर से भारत दर्शन कर सकते हैं:– इसमें रेल यात्रा, सड़क यात्रा, भोजन, पर्यटन स्थलों को देखना, आवास और बीमा आदि का खर्च शामिल है। वर्ष 2010–11 के दौरान देश भर में 60 फेरों में 23,636 यात्रियों ने भारत दर्शन यात्रा की जबकि पिछले वर्ष 57 फेरों के जरिए 22,621 यात्रियों ने यह यात्रा की। आईआरसीटीसी ने ''भारत दर्शन भ्रमण'' के ''उत्कृष्ट परिचालन'' के लिए ''जी एम आर ट्रैवल वर्ल्ड अवार्ड'' जीता है।

महापरिनिर्वाण एक्सप्रेक्स

बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस द्वारा बौद्ध परिपथ के विभिन्न गंतव्यों के लिए 7 रात/8 दिन का सर्वसमावेशी टुअर कराया जाता है और यह गाड़ी इस परिपथ पर अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय यात्रियों के लिए संरक्षित, आरामदेह और विश्वसनीय टुअर पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई गई है। इस गाड़ी को पर्यटन मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में **''राष्ट्रीय पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार''** प्रदान किया गया है। वर्ष 2010–11 में इस गाड़ी में 1367 यात्रियों ने यात्रा की जबकि वर्ष 2009–10 के दौरान 1039 यात्रियों ने यात्रा की थी जो 32 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है।

टुअर्स पैकेज

आईआरसीटीसी पूरे देश भर में पूर्ण समावेशी रेल टुअर पैकेज परिचालित करती है। जिसमें उचित मूल्यों पर पुष्ट रेल आरक्षण, सड़क मार्ग द्वारा यात्रा, आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों की सैर करवाना शामिल है। वर्ष 2010–11 में कुल 49,308 यात्रियों ने आईआरसीटीसी टुअर पैकेज का लाभ उठाया जबकि पिछले वर्ष 43,258 यात्रियों ने यह यात्रा की थी।

शैक्षिक टुअर्स

आईआरसीटीसी ने अपनी **''सीखने के लिए भ्रमण करें''** योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया है और बच्चों के लिए शैक्षिक टुअर्स के आयोजन के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तमिलनाडु सरकार, असम सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा प्राइवेट स्कूलों के साथ ताल–मेल किया है। वर्ष

2010–11 में 20,441 विद्यार्थियों और अध्यापकों ने शैक्षणिक टुअर्स की सुविधाओं का लाभ उठाया जबकि वर्ष 2009–2010 में यह संख्या 12,729 थी।

चार्टर्ड रेल गाड़ियां और सवारी डिब्बे

आईआरसीटीसी ने वर्ष 2010–11 में 243 चार्टर्ड रेल गाड़ियों / सवारी डिब्बों को परिचालित किया जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 248 थी। इसी प्रकार कंपनी ने वर्ष 2010–11 में 80 हिल चार्टर रेल गाड़ियां परिचालित की जबकि वर्ष 2009–10 में यह संख्या 36 थी।

कार्पोरेट यात्रा

आईआरसीटीसी ने वर्ष 2010–11 में कार्पोरेट यात्रा के क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। और यह कार्पोरेट जगत को संपूण यात्रा सेवाएं मुहैया करा रहा है। जिसमें हवाई टिकट की बुकिंग, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय होटलों में बुकिंग, किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराना, पासपोर्ट और वीजा संबंधी सुविधा प्रदान करना, इंश्योरेन्स और विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

पर्यटन पोर्टल

आईआरसीटीसी का पर्यटन पोर्टल www.railtourismindia.com एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराता है, यह पोर्टल, जिसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दिन–ब–दिन यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और यह यात्रा और पर्यटन संबंधी विभिन्न सेवाएं जैसे पर्यटन गाड़ियों की ऑन लाइन बुकिंग, टुअर पैकेज, होटल, किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराना और हवाई टिकटों की व्यवस्था करता है।

महाराजा एक्सप्रेस

यह गाड़ी उच्च कोटि की लग्जरी रेल गाड़ी है जिसका स्वामित्व आईआरसीटीसी के पास है। लेकिन इसका प्रबंधन रायेल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटिड द्वारा किया जाता है। इस अखिल भारतीय लग्जरी पर्यटन गाड़ी ने वर्ष 2010 में 28 फेरे लगाए जिसमें 1030 पर्यटकों ने यात्रा की।

भारत तीर्थ

आईआरसीटीसी ने फरवरी 2011 में माननीय रेल मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण 2010 में की गई घोषणा को पूरा करने के लिए भारत तीर्थ पर्यटक गाड़ियां चलाई हैं। विभिन्न तबकों के पर्यटकों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन गाड़ियों में तीन तरह के पैकेज बनाए गए हैं। (अर्थात – बजट, मानक और डीलक्स) वर्ष में कुल 4 फेरे लगाए गए जिसमें 1443 यात्रियों ने की ।

(IV) बोतलबंद पीने का पानी (रेलनीर)

वर्ष 2010–2011 में रेलनीर बोतलबंद पीने के पानी के उत्पादन के दो संयंत्र नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) में परिचालन में थे। नांगलोई और दानापुर में रेलनीर का उत्पादन क्रमशः 3.28 करोड़ और 3.12 करोड़ बोतलें था जबकि प्रत्येक संयंत्र की स्थापित क्षमता 3.34 करोड़ बोतलें थी। वर्ष 2010–11 के दौरान 23.96 करोड रुपए का कारोबार हुआ। इसमें 19.39 करोड़ रूपए का मध्यवर्ती अवधि में किया गया कारोबार शामिल नहीं है।

नांगलोई में उत्पादित रेलनीर को चलती हुई गाड़ियों और स्थैतिक खानपान यूनिटों में मुख्य रूप से दिल्ली क्षेत्र और अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित इकाइयों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा, संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, रेलवे बोर्ड और मंत्रालय आदि में भी रेलनीर की आपूर्ति की जाती है।

दानापुर में उत्पादित रेलनीर को बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तरप्रदेश, असम और उड़ीसा में वितरित किया जाता है।

वर्ष के दौरान दानापुर स्थित रेलनीर प्लांट को आई. एस. ओ.–9001–2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन की प्रणाली का प्रमाणन प्राप्त की प्रक्रिया में है।

रेलनीर बोतलबंद पीने के पानी की मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम कीटनाशक अवशेष के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मानकों के अनुरूप हैं।

पलूर (चैन्ने) में भी पीने के बोतल बंद पानी का 1.8 लाख बोतल/प्रतिदिन की स्थापित क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया गया है। और वह जुलाई 2011 से चालू हो गया है।

6. राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली–2010

2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था और यह भारत में 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के बाद सबसे बड़ा विभिन्न खेलों वाला अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन था। यह खेल 3 अक्टूबर 2010 से 14 अक्टूबर 2010 तक 12 दिन के लिए आयोजित किए गए थे और अधिकांश खिलाड़ियों और तकनीकी अधिकारियों की 23 सितंबर (प्रशिक्षण अवधि) से आगे तक आवभगत की गई और इसमें राष्ट्रमंडलीय खेलों की 71 एसोसिएशनों के 7000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रबंधन और टिकटों की व्यवस्था का काम आगरा में सी डब्ल्यू जी स्पेशल शताब्दी गाड़ी का ऑफ बोर्ड प्रबंधन तथा एस पी एम तथा तालकटोरा स्टेडियमों में खानपान व्यवस्थाओं का कार्य आईआरसीटीसी के मुकुट में एक और मोती था। इनका विवरण निम्नलिखित हैः–

सी डब्ल्यू जी टिकटिंग

आईआरसीटीसी को 19वें राष्ट्र मंडल खेल 2010 दिल्ली के लिए जो कि 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के बाद सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न खेलों वाला आयोजन था, अधिकृति टिकटिंग एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था।

इसने 12 दिन तक चलने वाले 17 खेल आयोजनों से जुड़े 290 खेल सत्रों के लिए 14 लाख बैठने के स्थानों के लिए टिकटिंग का काम बखूबी सम्हाला था।

इस वृहद कार्य को करने के लिए टिकटों को खेल प्रेमियों को पहुँचाने के काम में निम्नलिखित चरण शामिल थेः–

- डिजाइन तैयार करना, सपुर्दगी तथा टिकटिंग टेक्नोलॉजी के प्रबंधन का कार्य।
- टिकटों की बुकिंग के लिए मैनुअल आउटलेट तथा ग्राहक सेवा के लिए ऑनलाइन रियल टाइम ट्रांजैक्शनल वैबसाइट काल सेन्टरों का विकास एवं प्रबंधन।
- खेल स्थानों पर टिकट बॉक्स आफिसों को चलाना और उनका प्रबंधन करना।
- टिकटिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षण और प्रबंधन
- टिकटिंग, मुद्रण और सपुर्दगी (देश में और विदेश में) सहित टिकटिंग आदेशों को पूरा करना।
- फिजिकल इनवेन्ट्री और रोकड़ संग्रहण के प्रबंधन का संभार तंत्र।
- खेल स्थलों पर उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान।

इसके लिए मैसर्स ब्रॉड विजन (सॉफ्टवेयर सहायता के लिए) और मैसर्स टिकटप्रो (टिकटिंग विशेषज्ञता के लिए) के साथ एक कंसोर्शियम के जरिए काम को सर अंजाम दिया गया।

सी डब्ल्यूजी की विभिन्न परियोजनाओं की जांच करने के लिए शुंगलू कमेटी सहित सर्वसम्बधित द्वारा आईआरसीटीसी के काम–काज की सराहना की गई है।

सी डब्ल्यू जी पर्यटन – सी डब्ल्यू जी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए एक विशेष शताब्दी गाड़ी भारतीय रेल द्वारा चलाई गई थी। आईआरसीटीसी ने उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से अक्टूबर 2010 के दौरान आगरा भ्रमण के लिए 3000 सीडब्ल्यूजी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए ऑफ बोर्ड व्यवस्थाएं की थी। इन सेवाओं की अतिथियों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई थी।

सी डब्ल्यू जी खानपान – आईआरसीटीसी ने खिलाड़ियों एवं टीम के अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों, मीडिया, अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं खेल परिवार के लिए एस पी एम (ऐक्वेटिक्स) एवं तालकटोरा (बॉक्सिंग) लाऊँजों में पैकेज नंबर 2 के खानपान की व्यवस्था की आईआरसीटसी ने विभिन्न लाऊँजों में उपर्युक्त ग्रुपों के लिए उत्कृष्ट खानपान सेवा की व्यवस्था की जहां प्रतिदिन 3500 से अधिक भोजन प्रतिदिन की दर से परोसे गए थे। व्यावसायिक मैत्रीपूर्ण सेवा और व्यापक मेन्यू जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के मिश्रण से भरपूर था, के लिए आईआरसीटीसी की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई थी।

7. भावी विकास की रणनीतियां

आईआरसीटीसी आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने व्यावसायिक क्रिया कलापों पर नए सिरे से विचार कर रही है। यह अपने सामने आने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए नई पहलकदमियां अपनाएगा।

इस कॉर्पोरेशन का लक्ष्य है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की जाए। इस प्रयोजन के लिए व्यवसाय के अस्तित्व की प्रकृति को बदलने के लिए दीर्घ कालीन उपायों को अपनाया जाएगा ताकि इसे वित्त वर्ष 2015 तक 2500 करोड़ रुपए वाली कंपनी बनाया जा सके। हम इस बात के मद्देनज़र ऊँचा लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि वित्त वर्ष 12 के लिए कारोबार का लक्ष्य केवल 500 करोड़ है जो कि चालू वर्ष में प्राप्त 765 करोड़ रूपए के लक्ष्य से बहुत कम है। वित्त वर्ष 15 के लक्ष्य के आस–पास पहुँचने के लिए रेलवे का सतत् समर्थन दरकार होगा। बजट होटलों, रेलनीर, ई–टिकटिंग, टर्मिनल प्रबंधन, वाणिज्यिक विज्ञापनों और पर्यटन उत्पादों के संबंध में इसे रेलवे से तर्कसंगत एवं सकारात्मक नीतिगत पहलकदमियों की आवश्यकता होगी।

यह भी देखने की बात है कि रेल मंत्रालय से और कौन सी नॉन कोर गतिविधियां कॉर्पोरेशन को सौंपी जा सकती हैं। कार्पोरेशन को शक्ति सम्पन्न बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि यह बजट होटलों की अपने प्रारंभिक कार्य को कर सके और युद्ध स्तर पर इस क्षेत्र मे वृद्धि कर सके।

गत वर्षों के दौरान आईआरसीटीसी ने अतिथि–सत्कार, खानपान, पर्यटन, बोतलबंद पेयजल और ई–कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत सी क्षमताएं विकसित की हैं। इसकी पूरे देश में पहुँच है जिसमें जोनल, आंचलिक और प्रमुख शहरों में स्टेशन अधिकारियों का एक पूरा समूह कार्यरत है। आईआरसीटीसी में विभिन्न प्रतिष्ठित होटल प्रबंधन संस्थानों के 1500 हॉस्पीटैलिटी व्यवसायी कार्यरत हैं जो बड़ी मात्रा में भोजन उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण के काम को सरअंजाम देते हैं। आईआरसीटीसी के काम में और आउटसोर्स मॉडल के जटिल परिचालन प्रबंधन, उच्च कोटि वाली खानपान सुविधाओं का विकास, अतिथि सत्कार से जुड़ी परियोजनाओं को डिजाइन करना, उन्हें अपग्रेड करना और परामर्श देना शामिल है। इसके साथ ही, उच्च श्रेणी और किफायती कोटि के लिए पर्यटन उत्पादों को शुरू करने और पर्यटन प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रदान करना, व्यापक अनुभव द्वारा पीडी डब्ल्यू योजनाओं को परिचालित करना तथा भारतीय रेल के नेटवर्क आवश्यकताओं को पूरा करना तथा एशिया–पैसीफिक में सबसे बड़ी ई–कामर्स वैबसाइट का प्रबंधन भी आईआरसीटीसी द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

आईआरसीटीसी आने वाले वर्षों में अपने कौशल और अनुभव के आधार पर कई गुणा तरक्की करने के लिए अनेक पहलकदमियों को अपना रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

(क) खानपान और अतिथि सत्कार भावी संभावनाएं और योजना

आईआरसीटीसी विभिन्न उपायों को अपनाकर खानपान और अतिथि सत्कार के व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है।

(i) गैर– रेलवे खानपान

गैर–रेलवे खानपान के क्षेत्र में बड़ी संख्या में भावी परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जो विभिन्न चरणों में हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:–

- दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी), नई दिल्ली।
- इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।
- राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला, ओडिशा
- साई स्पोर्ट्स हॉस्टल जे.एन.एस एवं आईजी, नई दिल्ली।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आंत्रप्रिन्योरशिप एंड मैनेजमेन्ट (निफ्टेम)–कुंडली, हरियाणा।

(ii) सुविधा प्रबंधन

आईआरसीटीसी अपने भागीदारों के साथ कुछ प्रमुख संस्थानों में व्यावसायिक सुविधा प्रबंधन की व्यवस्था भी करती है। आईआरसीटीसी हाउसकीपिंग, सुरक्षा, लाउँड्री, लैडस्केप प्रबंधन, अनुरक्षण और वार्षिक अनुरक्षण संविदा सहित खानपान, फ्रंट ऑफिस और सुविधा प्रबंधन समाधान के लिए एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराता है। हमारी सुविधा प्रबंधन सेवाएं संस्थानों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए हमारी सुविधा प्रबंधन सेवाओं को विशेष रूप ढाला गया है। हमारे पास विशेषज्ञों का ऐसा दल मौजूद है जो ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए विशेश रूप से प्रशिक्षित किए गए हैं।

(iii) केन्द्रीय रसोई घर

आईआरसीटीसी 25,000 भोजन प्रतिदिन तैयार करने की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक **केन्द्रीय रसोईघर (फूड फैक्टरी)** की स्थापना करने जा रहा है अपनी तरह की यह अत्याधुनिक फूड फैक्टरी उच्च गुणवत्ता और मानक वाला भोजन तैयार करने के लिए प्रमुख एयर फ्लाइट किचनों की तर्ज पर बनायी जा रही है। यह फूड फैक्टरी पूरी तरह स्वचालित होगी और भारत एवं विदेशों के सर्वोत्तम निर्माताओं और व्यावसायिकों से आयातित उपकरणों से सज्जित होगी। इसका मेन्यू प्रारंभ में शाकाहारी, माँसाहारी, और कॉम्बो मील्स (भारतीय/चाइनीज) होगा जिसे अत्यधिक साफ–सफाई के साथ स्वास्थ्यपरक वातावरण में बनाया जाएगा।

(iv) डी. एम. आर. सी.

आईआरसीटीसी डी.एम.आर.सी. के साथ मिलकर शीघ्र ही नई दिल्ली और एनसीआर में उपयुक्त मेट्रो स्टेशनों पर चरणबद्ध आधार पर 130 किओस्क खोलने की योजना बना रहा है। जहां यह मेट्रो के यात्रियों को विभिन्न प्रकार के रूचिकर भोजन और पेय उपलब्ध कराएगा।

(v) एच पी सी एल/बी पी सी एल समझौता ज्ञापन

आईआरसीटीसी ने अखिल भारतीय स्तर पर पर उपयुक्त पेट्रोल पम्पों पर फूड प्लाजा, मोटल और यात्रा संबंधी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रमुख पेट्रोलियम पीएसयूज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सरकार की निकट भविष्य में 20,000 किलोमीटर एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण की योजना को देखते हुए बहुत संभावना वाला क्षेत्र है।

(vi) बजट होटल

आईआरसीटीसी चाहता है कि प्रमुख पर्यटक और धार्मिक गंतव्यों पर बजट होटलों की स्थापना की जाएं और मौजूदा रेल यात्री निवासों और बजट होटलों/मोटलों का प्रबंधन किया जाए। रेल यात्रियों को स्टेशनों के निकट ही उच्च कोटि की साफ सुथरी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो सभी प्रमुख स्टेशनों पर, जहां संभव हो पी पी पी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के तहत बजट होटलों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए रेल मंत्रालय से एक स्पष्ट तर्कसंगत नीतिगत पहल की आवश्यकता होगी।

(ख) इंटरनेट टिकटिंग – भावी संभावनाएं एवं योजना

आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए इस समय भारतीय रेल की 40 प्रतिशत यात्री आरक्षण प्रणाली की टिकटों की बिक्री की जा रही है। देश में बढ़ती हुई टेलीकॉम और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। भावी माँग को पूरा करने के लिए अवसरंचना की क्षमता में वृद्धि की प्रक्रिया जारी है। इस दिशा में अत्याधुनिक डाटा सैन्टर की स्थापना, उच्च क्षमता वाले सर्वरों को लगाने तथा इंटरनेट बैंड–विड्थ के अपग्रेडेशन का काम कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।

(ग) पर्यटन – भावी संभावनाएं एवं योजना

आईआरसीटीसी का लक्ष्य है – ''उच्च गुणवत्ता वाली यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करनेवाली देश की अग्रणी कंपनी बनना।'' निगम ने आगामी वर्षों में कॉरपोरेट यात्रा तथा विदेश से आने वाले अलग–अलग यात्रियों के लिए पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बनाई है जिसके लिए वह वर्तमान व्यवसाय लाइनों को तथा नई व्यापार को बढ़ाएगा। भविष्य में ध्यान देने वाले विशेष क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- **शैक्षिक भ्रमण** – आईआरसीटीसी अपनी 'ट्रैवेल टू लर्न' योजना के तहत देश की शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूत शैक्षिक विषयों और देखभाल करने के माहौल सहित विशेष रूप से तैयार किए गए पैकेजों की अग्रणी प्रदाता कंपनी बनी रहने का प्रयास करती रहेगी।
- **कॉरपोरेट यात्रा** – आईआरसीटीसी कॉरपोरेट विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कम लागत की और दक्ष यात्रा समाधान उपलब्ध कराने पर निरंतर ध्यान देती रहेगी।
- **बौद्ध परिपथ यात्रा** – आईआरसीटीसी की इस परिपथ पर सेवाएं और बढ़ाने की योजना है जिसके लिए चैन्नई से विशेष गाड़ी चलाई जाएगी। इसकी योजना वर्तमान महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस की सेवाओं के स्थान पर नई गाड़ी चलाने की है।
- **डीलक्स पर्यटक गाड़ियां** – प्रतिदिन लगभग 250 यूएस डालर के पैकेज राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आईआरसीटीसी ने योजना बनाई है।

- **ऑन लॉइन यात्रा** – आईआरसीटीसी सबसे बड़ी ई–कामर्स साइट बनी रहने के लिए और ग्राहकों की विभिन्न कोटियो हेतु ऑन लाइन यात्रा समाधान प्रस्तुत करने, प्राप्त किए गए धन के बदले पूरी सेवा देने के अपने प्रयासो को और तेज करेगी।
- **रेल टुअर पैकेज** – नियमित गाड़ी सेवाओं का उपयोग करते हुऐ आई आर सी टी सी वृहत रेल आधारित पैकेज के अपने कार्य को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।

(घ) बोतलबंद पेय जल – भावी संभावनाएं एंव योजना

- एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय रेलनेट वर्क पर बोतलबंद पेयजल की आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 30 लाख बोतल की है । जब कि वर्तमान में आईआरसीटीसी प्रतिदिन 2 लाख बोतल का उत्पादन कर रही हैं वर्ष 2011 के अंत तक यह 3.8 लाख बोतल/प्रतिदिन हो जाएगा। अम्बरनाथ (मुंबई) के संयंत्र के चालू हो जाने के बाद वर्ष 2013 से दूसरी क्षमता 5.8 लाख बोतल प्रतिदिन हो जाएगी जो कुल जरूरतों का लगभग 15 प्रतिशत होगा।
- अम्बरनाथ संयंत्र की क्षमता 2 लाख बोतल प्रतिदिन हो जाएगी जबकि इस पर अनुमानित लागत 19 करोड़ रू. आएगी। इष्टतम परियोजना प्रबंधन से कार्य के वर्ष 2012–13 के अंत तक पूरा होने की संभावना है और व्यावसायिक उत्पादन 2013 में प्रारंभ हो जाएगा। साइट स्थल और योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- बोतलों की क्षमता बढ़ाने के लिए, आईआरसीटीसी निजी उद्योग की साझेदारी में संयुक्त उपक्रम के फर्म देश भर में अधिक से अधिक बोतल बंद पेयजल के संयंत्र स्थापित करेंगे। चिह्नित की गई। दो संभावित स्थल नागपुर और हैदराबाद में हैं।
- रेलमंत्रालय ने पी पी पी मॉडल पर बोतलबंद पेयजल के 6 संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

8. <u>पुरस्कार/मान्यता</u>

विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेशन के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को देखते हुए वर्ष के दौरान इसे निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए।

- तीसरे डीएस आई जे पी एसयू पुरस्कार 2011, 4000 करोड़ रूपए से कम आकार के तुलन–पत्र के साथ तेजी से उभरती हुई गैर उत्पादक कंपनी के लिए स्पीड किंग '(मिनीरत्न)'–पुरस्कार, अप्रैल 2011 में प्राप्त हुआा।
- नियंत्रक, प्रमाणीकरण प्रधिकरण, भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 2010 को एस के ओ सी एच का एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली के लिए वर्ल्ड ओपन अवार्ड।
- इंडिया प्राइड अवार्ड–गोल्ड, पुरस्कार इंटरनेट टिकटिंग के लिए श्री प्रणव मुखर्जी माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से सितंबर 2010 में प्राप्त हुआ।

9. <u>मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहल :</u>

वर्ष के 2010–11 के दौरान, कॉरपोरेशन के 3500 कर्मचारियों को उनके कार्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कॉरपोरेशन ने स्टाफ के लिए ग्राहक देखभाल केन्द्र दिल्ली और प्रसिद्ध क्षेत्रीय और सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

10. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

11. सतर्कता

11.1 वर्तमान में सतर्कता विभाग एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। यह विभाग निवारक सतर्कता पर बल देने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि, प्रणाली और प्रक्रियाओं को उन्नत बनाया जा सके और मनमर्जी करने का अवसर बहुत कम रहे। प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से संबंधित विषयों पर अनुशासनिक और उचित तरीके से शक्तियों के प्रयोग सुनिश्चित करता है।

11.2 नीतियों/प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने/प्रलेखबद्ध करने के लिए कार्य करने वाले विभागों को सलाह देकर निगम के निष्पादन को बढ़ाने में आईआरसीटीसी का सतर्कता विभाग एक प्रभावी प्रबंधकीय साधन की भूमिका निभाता रहा है।

11.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 25 अक्टूबर 2010 से 1 नवम्बर 2010 के दौरान आयोजित किया गया। आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में विविध कार्यक्रम/व्याख्यान आयोजित किए गए । इनका उद्देश्य प्रणालीगत सुधार और सूचना तकनीक का प्रयोग करके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था।

11.4 सतर्कता विभाग के निष्पादन की समीक्षा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

11.5 कार्यों और सेवाओं आदि में सत्यनिष्ठा के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाने की दिशा में आईआरसीटीसी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सत्यनिष्ठा पैक्ट'' का कार्यान्वयन कर रही है। सत्यनिष्ठा पैक्ट को अपनाकर आईआरसीटीसी को एक लंबी स्वस्थ व्यावसायिक पद्धति स्थापित करने की दिशा में मदद मिली है।

12. राजभाषा का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन में निगम राजभाषा के कार्यान्वयन पर लगातार बल देता आया है। निगम में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और निगम ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है।

कार्यशालाएं आयोजित करके, प्रशिक्षण दिलाकर, बैठकों, निबंध प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक गतिविधियों, द्वारा और गृह पत्रिका 'प्रेरणा' का द्विभाषी प्रकाशन करके निगम ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए हैं। हिंदी में उल्लेखनीय योगदान देने वालों के लिए अनेक योजनाएं लागू हैं।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान कॉरपोरेट कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग प्रसार की समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने निरीक्षण दौरा किया। समिति ने कॉरपोरेट कार्यालय में किए जा रहे हिंदी के प्रयोग की सराहना की।

13. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है।

14. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के उपबंधों के अंतर्गत यथा अपेक्षित, कोई भी कर्मचारी उसमें निर्धारित सीमा से अधिक वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं कर रहा था।

15. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि का विवरण:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसार ब्यौरा **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है।

16. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे ताकि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कॉरपोरेशन कार्यों की स्थिति का तथा समीक्षाधीन अवधि के लिए कॉरपोरेशन के लाभ एवं हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

(iii) निदेशकों ने कॉरपोरेशन की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं।

17. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनेगी।

18. समवेत अभिशासन और समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इस रिपोर्ट के भाग में समवेत अभिशासन पर एक रिपोर्ट **अनुबंध-III** में दी गई है। कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त की गई कॉरपोरेट अभिशासन पर प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

कॉरपोरेशन ने भारत सरकार, रेल मंत्रालय के साथ समझौते के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जिससे वर्ष 2010–11 के लिए अन्य बातों के साथ वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जा सके।

19. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आईआरसीटीसी का कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की नीति ''अपने रेल यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी संबद्ध पक्षकारों के प्रति एक सजग, दायित्व पूर्ण कॉरपोरेट के रूप में कायम रहना है। वर्ष 2010–11 के लिए कॉरपोरेशन ने 2.25 करोड़ रूपए की राशि कॉरपोरेट सामाजिक कार्यकलापों के लिए निर्धारित की है।

आईआरसीटीसी ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

जयपुर फुट

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व भगवान महावीर विकलांग समिति सहायता समिति (वीएमवीएसएस) (जो 'जयपुर फुट' के नाम से भी जानी जाती है) के साथ मिलकर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृतिम अंग/कैलीपर्स और हाथ से चलायी जाने वाली ट्राईसाइकिल प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के द्वारा 957 विकलांग लाभान्वित हुए। परियोजना की लागत 25.37 लाख रूपए थी। यह परियोजना दिल्ली और जयपुर में 8 मार्च, 2011 को शुरू हुई और 25 मार्च, 2011 को पूरी हुई।

मेरी दिल्ली मेरी यमुना

शाहजहाँनाबाद री–डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन (एस आर डी सी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट आफ लिविंग फाउन्डेशन के साथ मिलकर यमुना को स्वच्छ रखने के लिए एक परियोजना मेरी दिल्ली मेरी यमुना शुरू की गई। इस परियोजना के द्वारा आईटीओ पर छठ पूजा घाट पर घाट को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तथा पूजा सामग्री और फूलों के विसर्जन के लिए पृथक विसर्जन क्षेत्र के साथ पैदलपथ, प्रकाशव्यवस्था, वृक्षों, घास और शौचालय आदि का प्रावधान किया जाएगा। परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई चला रही है। इसके लिए 56 लाख रू. की राशि आईआरसीटीसी की ओर से योगदान के रूप में देने के लिए चिह्नित की गई है।

बौद्ध परिपथ पर सुलभ शौचालय परिसर

सुलभ इंटरनेशनल इकाई के साथ मिलकर सुलभ परिसर (सार्वजनिक शौचालय) बनाने और उसके रखरखाव की परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना बौद्ध परिपथ मार्ग पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गोरखपुर से (आनंदनगर, फरेन्द्र के निकट) नौतनवा में विकसित किया जाएगा। ताकि बौद्ध परिपथ पर पर्यटक और अन्य यात्री इसका लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का आबंटन कर दिया गया है और परियोजना के कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 25.11 लाख रूपए होगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

होटल प्रबंधन संस्थान पूसा के साथ मिलकर परियोजना शुरू की गई है जिसके तहत कम से कम एक कन्या विद्यार्थी सहित 5 मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना पर कंपनी की 18 लाख रूपए लागत आएगी।

अन्य कार्य–कलाप

- कूड़े के बिखराव को रोकना और रेल परिसरों में कूड़े के संरक्षित निपटान को सुनिश्चित करना और खपत कम करना।
- वृक्षारोपण ।

20. सतत व्यापार विकास

आईआरसीटीसी ने सतत व्यापार विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

- बेस किचन और अल्पाहार गृहों में सौर ऊर्जा का प्रयोग।
- उपयोग की गई रेलनीर की बोतलों को इकट्ठा करना और उनका निपटान करना ताकि इनका दुरूपयोग न किया जा सके।

- भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रेलनीर संयंत्र में वर्षा जल संरक्षण।
- बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी तथा महाराजा एक्सप्रेस में पर्यावरण हितैषी सीडीटीएस शौचालय का संस्थापन
- रेल परिसरों में खतरों को कम करने के लिए तथा बिजली की खपत कम करने के लिए इन्डक्शन कुकिंग प्रणाली शुरू की गई है।
- बेकार पानी को संरक्षित तरीके से सौर गर्तों में डालना ताकि धरती के जलस्तर की भरपाई हो सके और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे।
- भोज्य पदार्थो की पैकेजिंग और पेय पदार्थो को परोसने के लिए वातावरण हितैषी उत्पादों का प्रयोग।
- स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए भोजन एवं संरक्षा जांच।

21. लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा मैसर्स भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2010–11 के लिए कॉरपोरेशन का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

22. निदेशक मंडल

इस समय, कॉरपोरेशन के बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, तीन कार्यकारी निदेशक, सरकार द्वारा मनोनीत दो सरकारी निदेशक और तीन अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं।

बोर्ड ने कार्य करने के लिए वर्ष के दौरान 5 (पाँच) बैठकें की और निम्नलिखित निदेशकगण रिपोर्ट की तारीख तक पद पर बने रहे :

श्री विनय मित्तल, अध्यक्ष,
श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक,
श्री नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन व विपणन),
श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं),
श्री विश्व रंजन गुप्त, निदेशक (वित्त),
श्रीमती मनी आनंद, सरकारी निदेशक
श्री आर.एन.भारद्वाज, स्वतंत्र निदेशक
श्री आर.के. अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक

श्री विवेक सहाय द्वारा रेल मंत्रालय से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत होने के बाद निगम के निदेशक का पद छोड़ने पर श्री विनय मित्तल, सदस्य यातायात, श्री विवेक सहाय के स्थान पर 26.07.2011 को अध्यक्ष के रूप में निगम के बोर्ड में सम्मिलित हुए। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष के रूप में श्री विवेक सहाय द्वारा निगम को दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए बोर्ड उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

श्री नरेश सलेचा, कार्यकारी निदेशक (सी) अंशकालिक सरकारी निदेशक दिनांक 01.012.2010 से कॉरपोरेशन के निदेशक नहीं हैं। श्री जगदीप एस. छोकर और श्री आलोक शिवपुरी, स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 27.05.2011 से अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब निदेशक नहीं हैं। श्री नरेश सलेचा, श्री जगदीप एस. छोकर और श्री आलोक शिवपुरी द्वारा निदेशक बोर्ड से संबद्ध रहने के दौरान दिए गए उनके मार्गदर्शन एवं सेवाओं के लिए निदेशक मंडल कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

23. लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेशन द्वारा पहले निदेशक मंडल की एक लेखापरीक्षा समिति गठित की गई थी। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान कार्य करने के लिए चार (4) बार बैठक की और लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य वर्ष 2010–2011 के दौरान पद पर बने रहे :–

श्री आर.एन.भारद्वाज, स्वतंत्र निदेशक
श्री आर.के.अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक
श्री आलोक शिवपुरी, स्वतंत्र निदेशक
श्री जगदीप एस. छोकर, स्वतंत्र निदेशक
श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री आर.एन.भारद्वाज, को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

24. आभार एवं सराहना :

निदेशक मंडल रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी प्रकार के मार्ग दर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है क्योंकि रेल मंत्रालय के सक्रिय समर्थन के बिना आलोच्य अवधि के दौरान निगम ने जो उपलब्धियां हासिल की है, वे संभव नहीं थीं।

निदेशक मंडल अपने सम्माननीय ग्राहकों और लाइसेंसियों के प्रति भी कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेक्षापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त सृजनात्मक सुझावों के लिए उनका आभारी है।

अंत में, निदेशक मंडल सभी स्तर के अपने कर्मियों द्वारा कंपनी की निरंतर प्रगति एवं उत्कृष्टता के लिए किए गए अथक प्रयास और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताः/–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :20, सितंबर, 2011

(विनय मित्तल)
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–1

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(1). उद्योग का स्वरूप और विकास

आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक परिदृश्य :– वैश्विक आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पिछले दो वर्ष की मंदी के दौर से निकालने के बाद अनेक विकसित देश अनिश्चितता के विभिन्न दौर से गुजर रहे है। अनेक सरकारें विशेश रूप से यूरोपीय देश की सरकारें सार्वजनिक ऋण के बोझ तले दबी हुई हैं। ऐसे समय में जबकि विश्व की अर्थव्यवस्था अभी भी पूर्व स्थिति में पहुचने के लिए संधर्षरत है, भारत शुरूआती झटकों से शीघ्र ही पार पाकर विश्व के समक्ष निवेश के लिए पुनः एक आकर्षक देश के रूप में उठ खड़ा हुआ है।

घरेलू वातवरण उन्नति के लिए प्रेरक है और निजी उपभोग का व्यय 7.5 प्रतिशत और सकल नियत पूंजी में 14.6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की संभावना है।

अग्रिम अनुमानों, अनुसार 2010–11 में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर घटक लागत के आधार पर 8.6 प्रतिशत था । यह वर्ष 2009–10 के 8.0 प्रतिशत की संशोधित वृद्धि में बढ़ोत्तरी की परिचायक है। ये अनुमानों केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हैं।

औद्योगिक नीति और संर्वद्धन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों की संचयी राशि का प्रवाह अप्रैल 2000 से फरवरी, 2011 तक 193.7 बिलियन अमेरिकन डालर पर स्थिर रहा। यह भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों के विश्वास का परिचायक है।

खानपान एवं पर्यटन क्षेत्र

खानपान एवं आतिथ्य उद्योग का परिदृश्यः

भारत में भोजन उद्योग उत्पादन खपत और वृद्धि के हिसाब से सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। एक मूल्यांकन के मुताबिक 2015 तक भारतीय भोजन उद्योग वर्तमान 180 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 258बिलियन अमरीकी डालर हो जाने की संभावना है।
मध्यम और उच्च वर्ग के ग्राहकों की संख्या, 2005 और 2015 के बीच बढ़कर 300 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है और युवा वर्ग की जनसंख्या में 11 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि के अनुमान से सुविधाजनक यात्रा, साफ सफाई की व्यवस्था तथा स्वास्थ्यकर और भिन्न प्रकार के व्यंजनों की मांग बढ़ने की संभावना है।

गत 5 वर्षों के दौरान, खर्च करने योग्य आय में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे खाने पीने की मदों पर प्रतिव्यक्ति भोजन की खपत पर होने वाले खर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई परंतु यह अभी भी चीन और अमरीका आदि जैसे देशों की तुलना में कम है।

खानपान सेवाओं के व्यवसाय में बढोत्तरी की अपार संभावनाएं है, सामाजिक उत्सवों और समारोहो कॉरपोरेट संस्कृति और सामाजिक जीवन शैली के महत्व को ध्यान में रखते हुए, खानपान उद्योग अपनी स्थिति और लाभ कमाने की प्रकृति से और अधिक इजाफा कर सकती है।

खानपान सेवा प्रदाताओं को छोटे–बड़े सभी स्तरों पर सम्मान प्राप्त होता है। खानपान सेवा न केवल घरेलू व्यवसारियों के हितार्थ है, बल्कि यह सामाजिक कैटरर को भी बहुत अधिक मुनाफा कमाने का अवसर प्रदान करती है। यधपि यह भी स्पष्ट है कि केवल वही सेवा प्रदाता इस उद्योग में सफल हो सकता है जो इस व्यवसाय में निरंतर बढ़ती हुई मांग को पूर करने में समर्थ है।

रेस्तराँ उद्योग उस समय भी अच्छा लाभ कमा रहा था जब अन्य उद्योग मंदी के दौर में संघर्ष कर रहे थे। भारत का मध्यम और उच्च वर्ग अपने भोजन के आम बजट का 30 प्रतिशत रेस्तरां पर खर्च करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेस्तरां, कैफे या अन्य प्रकार के खानपान के संस्थान किस प्रकार हर वर्ष लाभ कमा रहे हैं।

विकासशील देशों में भी खानपान सेवाएं अच्छा लाभ कमा रही हैं। भारत जैसे देश के लोग नई जीवनशैली अपना रहे हैं। जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहों के दौरान विभिन्न प्रकार के बेहतर भोज्य पदार्थो को बनाना शामिल है।

लोगों द्वारा नियमित रूप से रेस्तरां में जाकर खाने की आदत में भी वृद्धि हुई है। आगामी वर्षो में खानपान उद्योग के निरंतर बढ़ते रहने के प्रमुख कारक निम्नलिखित है।

- परिवारों की आय बढ़ने से खानपान के उद्योग के फलने–फूलने में मदद मिल रही है। विकासशील देशों के परिवारों की आय तेजी से बढ़ रही है अतः अधिक से अधिक लोग इस उद्योग की और इनकी सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे है।

- कॉरपोरेट संस्कृति में अनेक बैठकें, सम्मेलन, व्यावसायिक लंच और रात की पार्टिया होती रहती है। जो खानपान उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं। यह न केवल विकसित देशों में होता है, बल्कि हाल ही में कॉरपोरेट संस्कृति अपनाने वाले देश भी इस उधोग को लोकप्रिय बना रहे हैं।

- जन्मदिन की पार्टी, विवाह, प्रीतिभोज और अन्य परिरवारिक कार्यक्रम भी बहुत अधिक खानपान सेवा प्रदाताओं पर निर्भर होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत अधिक संख्या में माताएं कार्य करने लगी हैं और वे रसोई में समय कम दे पाती हैं।

- अन्त में, आजकल लोगों में परिवार और मित्रों के साथ बाहर खाने का चलन बढ़ता जा रहा है। यह जीवन शैली विकासशील देशों के लिए नई है।

आतिथ्य सत्कार परिदृश्य

होटल उद्योग के लिए भारतीय उद्योग संघ द्वारा की गई समीक्षा के अुनसार इस क्षेत्र मे वृद्धि दर 10 प्रतिशत हैं। और नए होटलों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार 2015 तक और 60,000 कमरों की आवश्यकता होगी। होटलों के लिए आवश्यकता की कोटि में बिजनेस और बजट होटल का क्षेत्र भारत में होटल आवास व्यापार के लिए तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। विश्व बैंक की टी एंड टी पर किए गए अध्ययन के अनुसार, यात्रा व्यापार के संदर्भ में भारत का स्थान 2015 तक पांचवा हो जाएगा जो चीन के नजदीक है।

चूँकि आईआरसीटीसी अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक रूप से उचित मूल्य पर उच्च मानक और गुणवत्ता वाली खानपान और सुविधा प्रबंधन प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी है, अतः इसने अनेक राज्य पर्यटन बोर्ड और राज्य औद्योगिक निगमों जैसे–पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़,पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल, आदि से बजट होटल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया है। राज्य पर्यटन बोर्ड से उनकी वर्तमान संपत्तियों के अपग्रेडेशन परिचालन और रखरखाव करने के लिए भी संपर्क किया गया है। इन संपतियो में पर्यटन परिसर, पर्यटन लॉज और बजट होटल शामिल हैं।

पर्यटन उद्योग का परिदृश्य :–

रोजगार सृजन के संदर्भ में यात्रा और पर्यटन उद्योग बड़े उद्योगों में से एक है और एक आकलन के अनुसार यह विश्वस्तर पर कुल रोजगार का लगभग 8.6 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में, यात्रा और पर्यटन उद्योग सकल घरेलू उपाद का 5.9 प्रतिशत है और 9.2 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने के कारण यह देश के प्रमुख रोजगार स्रोतों में से एक है। एक आकलन के अनुसार यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में अगले 10 वर्शो में भारत के लिए अपेक्षित 120 मिलियम नौकरियों मे से 37 मिलियन नौकरियां यही क्षेत्र उपलब्ध करा सकेगा। अद्यतन आकलनों से स्पष्ट होता है कि 750 मिलियन घरेलू पर्यटक फेरे लगाए गए (जो सी ए जी आर के 13 प्रतिशत अधिक हैं जबकि अन्तराष्ट्रीय पर्यटक 5 मिलियन से कुछ अधिक थे जो सीएजीआर का लगभग 6.5 प्रतिशत है। हाल के वर्षो में जहां एक ओर भारत में आने वालों पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है वहीं दूसरी ओर घरेलू पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इससे विकट विषम आर्थिक स्थितियों में भी इस क्षेत्र का समुत्थान स्पष्ट होता है।

अवसरंचना एवं प्रशिक्षित श्रमशक्ति का अभाव भारत को इस क्षेत्र में अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने से वंचित कर रहा है। जिससे भारत इस क्षेत्र में अपना उचित स्थान बना पाने में कठिनाई का सामना कर रहा है।

भारतीय रेल पर्यटन के क्षेत्र में सुविधा और यात्रा का सस्ता साधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका अदा करती है तथा इसके अपने क्षेत्राधिकार में अनेक पर्यटन स्थल हैं।

बढ़ती मांग की ऐसी पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के कारण इस क्षेत्र में सक्रिय आईआरसीटीसी जैसे संगठन के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण :–

शक्तियां

परिचालनिक

1. अखिल भारतीय उपस्थिति
2. एकल खिड़की पर सभी अतिथि सत्कार सेवाओं का खानपान समाधान उपलब्ध कराने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
3. भारतीय रेल का समर्थन
4. पेशेवर कर्मचारियों का आधार
5. एशिया – पैसिफिक में सबसे बड़ा ई–कॉमर्स प्रदाता

विपणन

1. प्रसिद्ध ब्रांड नाम
2. 18 मिलियन से अधिक ग्राहकों का डाटाबेस
3. बड़ा एजेन्ट नेटवर्क

कमजोरी

1. राजस्व लगभग पूरी तरह रेलवे पर आश्रित
2. लाभ एक क्षेत्र पर आश्रित
3. वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर पेशेवरों को आकर्शित करने में असमर्थ

अवसर

1. अतिथि सत्कार में उच्च वृद्धि पर
2. ऑनलाइन ट्रैवेल में वृद्धि
3. आईटी और ई–गवर्नेंस
4. खानपान पर जनशक्ति और ब्रांड का लाभ उठाना

चिंतावाले क्षेत्र

1. रेलवे नीति में बार–बार परिवर्तन
2. वाणिज्यिक पोर्टल की स्थापना
3. प्रबल असंगठित क्षेत्र

(2). क्षेत्र–वार निष्पादन

आईआरसीटीसी दो क्षेत्रों, अर्थात् खानपान और पर्यटन, में काम करता है खानपान क्षेत्र तीन हिस्सों में बंटा हुआ है अर्थात् चल खानपान, स्थैतिक खानपान जो आगे फिर लाइसेंसी खानपान और विभागीय खानपान में उपविभाजित है तथा रेलनीर जो कि पीने का पैकेज्ड पानी है।

वर्ष 2010–11 के दौरान लाइसेन्स खानपान व्यवसाय में पिछले वर्ष 2009–10 के 367.91 करोड़ की तुलना में 312.23 की आय दर्ज की गई। इस क्षेत्र का प्राप्त किया गया परिणाम 78.74 करोड़ रू. रहा जबकि वर्ष 2009–10 के दौरान यह 64.26 करोड़ रू. था। इस क्षेत्र में कमी का कारण लाइसेन्स खानपान व्यवसाय रेलवे को सौंपना था, क्योकि खानपान नीति 2010 को कार्यन्वित किया जाना था।

विभागीय खानपान व्यवसाय ने वर्ष के दौरान 198.58 करोड़ रू. की आय दर्ज की जबकि, वर्ष 2009–10 के दौरान 147.06 करोड़ रू. की आय दर्ज की गई थी। खाद्य–उत्पादों की दरों में बढ़ोत्तरी और बिक्री मूल्य में बिना वृद्धि के वर्ष 2010–11 के दौरान विभागीय खानपान का घाटा 74.74 करोड़ रूपए से कम होकर 55. 47 करोड़ रूपए कम रहा। इसे अधिक बिक्री और श्रम शक्ति पर कम लागत और कच्चे माल की खपत पर नियंत्रण रखकर पाया जा सका।

वर्ष 2010–11 के दौरान, रेलनीर व्यवसाय में 23.96 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2009–10 के दौरान 22.43 करोड़ रू. प्राप्त किए गए थे। इसमें विभागीय खानपान के जरिए बेचे गए 19.36 करोड़ रू. की राशि जो पिछले वर्ष 13.75 करोड़ रू. थी, शामिल नही है। वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया लाभ 2.73 करोड़ रू. था जबकि पिछले वर्ष यह 8.89 करोड़ रू. था इस क्षेत्र में कमी आने का मुख्य कारण उच्चतर प्रीफार्म कीमत (मुख्य कच्चा पदार्थ) है जो सीधे पेट्रोलियम की कीमतों से संबंधित है।

वर्ष 2010–11 के दौरान पर्यटन व्यवसाय से होने वाली आय 67.04 करोड़ रुपए रही जबकि वर्ष 2009–10 के दौरान यह 44.73 करोड़ रुपए थी यह इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। इस क्षेत्र में होने वाली हानि 6.22 करोड़ रुपए की थी जबकि गतवर्ष यह 2.81 करोड़ रुपए थी ऐसा मुख्यतः इस कारण हुआ कि रूपए 2.50 करोड़ का प्रावधान संयुक्त उपक्रम की कंपनी में निवेश के लिए किया गया था।

वर्ष 2010–11 के दौरान इंटरनेट टिकटिंग के व्यवसाय से 142.92 करोड़ रुपए की आय हुई जबकि वर्ष 2009–10 के दौरान 122.89 करोड़ रुपए आय हुई थी। इस क्षेत्र में वर्ष में 94.14 करोड़ रूपए का लाभ हुआ जबकि पिछले वर्श में यह 83.76 करोड़ रूपए था। इंटरनेट टिकटिंग में उल्लेखनीय वृद्धि अच्छे विपणन प्रयासों, अपग्रेडिड बुनियादी ढांचे और सुघरे हुए ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के कारण हुई।

(3). वर्तमान परिदृश्य

इस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के मद्देनजर कंपनी को पुनस्थापित करने की आवश्यकता है भविष्य में कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए इसे रेलवे से बाहर अवसर तलाशने होंगे और उसका लाभ उठाना होगा। उसे रेलवे से संबंधित क्षेत्रों पर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके उससे और अधिक समर्थन प्राप्त करना होगा।

(4). जोखिम और चिन्ताएं

खानपान :

हाल ही में, 21 जुलाई, 2010 को रेल मंत्रालय ने खानपान नीति 2010 जारी की हैं। खानपान नीति के कारण उत्पन्न चुनौती को फूडकोर्ट, फूडप्लाजाओं और फास्टफूड यूनिटों के जरिए खानपान व्यवसाय को सुचारू और बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी।

इंटरनेट टिकटिंगः

भारतीय रेल का वाणिज्यिक पोर्टल 08.07.2011 को शुरू किया गया। इस पोर्टल में रेल–ईटिकट बुक करने की सुविधा है जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट के समान है। वाणिज्यिक पोर्टल का परिचालन 22. 07.2011 को भुगतान निपटान प्रणाली में समस्या के कारण रोक दिया गया। आईआइसीटीसी की वेबसाइट अच्छी तरह कार्य कर रही है। और 01.08.2011 को एक ही दिन में 4.39 लाख की उच्चतम बुकिंग की गई।

(5). आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कम्पनी ने प्रबंधन की नीतियों का अनुसरण करने, परिसम्पतियों की सुरक्षा, धोखा–धड़ी और गलतियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा रिकार्ड की सत्यता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वितीय सूचना तैयार करने सहित अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल तरीके से चलाने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक अंग में विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

कम्पनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य एक बाहरी व्यावसायिक फर्म मैसर्स के.जी. सोमानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, नई दिल्ली को सौंपा है। आंतरिक लेखा परीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आईआरसीटीसी के परिचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इससे आंतरिक नियंत्रणों, भुगतान और खर्च की छानबीन करके और कम्पनी के वितीय और तकनीकी रिकार्ड की जांच की समीक्षा करके कम्पनी के कारोबार और परिचालन की सत्यता और कुशलता को सुधारने में मदद मिलती हैं।

सत्यनिष्ठा समझौता

कार्यों के प्रापण और सेवाओं आदि में सत्यनिष्ठा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई प्रक्रियाओं को अपना कर आईआरसीटीसी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम को लागू कर रहा हैं। स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को लगाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आईआरसीटीसी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने से स्वस्थ व्यावसायिक पद्धतियों को स्थापित करने के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।

(6). परिचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार–विमर्श

वर्ष 2010–11 के दौरान कॉरपोरेशन ने कुल 764.93 करोड़ रू. की आय प्राप्त की जबकि पिछले वर्ष 721.97 करोड़ रू. की आय हुई थी। इस प्रकार इस मद में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गईं। यदि लाइसेन्स खानपान से आय पर जो कि 2009–10 के 367.91 करोड़ रू से कम होकर वर्ष 2010–11 में 312.23 करोड़ रू. रह गई है, जो कि खानपान नीति 2010 के अनुसार रेलवे को स्थानांतरण के कारण हुआ है, पर विचार किया जाता तो यह वृद्धि और अधिक होती। 2010–11 के दौरान व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त की गई है।

वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ 129.79 करोड़ था जबकि पिछले वर्ष 94.76 करोड़ रू. का लाभ हुआ था। इससे लगभग 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। यह बढ़े हुए राजस्व और व्यय में नियंत्रण के कारण हुआ है। तथापि, 2010–11 में उच्चतर आयकर प्रावधान के कारण शुद्ध लाभ वर्ष 2009–10 के 63.05 करोड़ से घटकर 2010–11 में 60.79 करोड़ रहा। नयी खानपान नीति 2010 की घोषणा तक 20.07.2010 तक ढुलाई प्रभार के रूप में 9.12 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय ने नई खानपान नीति 2010 को कार्यान्वित किया और लाईसेन्स द्वारा परिचालित चल और स्थिर खानपान कार्यकलापों को अपने हाथ में ले लिया।

रेल मंत्रालय के साथ वर्ष 2010–11 के लिए समझौता ज्ञापन

वित्तीय समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के साथ वास्तविक आंकड़ों की तुलना नीचे दर्शाई गई है:–

समझौता ज्ञापन आधार	समझौता ज्ञापन 2010–11	वास्तविक आंकड़े 2010–11
सकल मार्जिन / सकल ब्लॉक (प्रतिशत)	49.7 प्रतिशत	106.7 प्रतिशत
शुद्ध लाभ / शुद्ध मूल्य (प्रतिशत)	28.7 प्रतिशत	28.7 प्रतिशत
सकल लाभ / नियोजित पूंजी (प्रतिशत)	44.2 प्रतिशत	66.7 प्रतिशत
सकल मार्जिन (करोड़ रूपयों में)	102	144.24
सकल बिक्री (करोड़ रूपयों में)	715	741.24
पीबीडीआईटी / कुल नियोजन (प्रति व्यक्ति लाखरूपयों में)	3.08	7.46
संवर्धित मूल्य / सकल बिक्री (प्रतिशत)	12.1 प्रतिशत	16.8 प्रतिशत

(7). मानव संसाधन में वास्तविक विकास नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित औद्योगिक संबंधः–

इस संबंध में आई आर सी टी सी ने निम्नलिखित उपाय किए हैंः–

वर्ष 2010–2011 के दौरान कामकाज को व्यावसायिक बनाने और सुचारू बनाने के लिए वर्ष के दौरान 23 कार्यपालकों, 45 पर्यवेक्षकों और 161 कर्मकारों को आईआरसीटीसी में विज्ञापन द्वारा बाहर से तथा कैंपस भर्ती के जरिए नियुक्तियां दी गई।

कार्पोरेशन ने कर्मचारियों के लिए कस्टमर केअर सेंटर दिल्ली में और प्रतिश्ठित क्षेत्रीय और सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की।

वित्त वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च, 2011को कुल जनशक्ति 1934 थी जिसमें 456 कार्यपालक और 1478 गैर कार्यपालक थे।

वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए।

(8) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, टेक्नॉलॉजीकल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण।

आईआरसीटीसी निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं :

- बेस किचन और अल्पाहार कक्षों में सौर ऊर्जा का उपयोग।
- बेकार पानी को संरक्षित तरीके से सौर गर्तों में डालना ताकि धरती के जलस्तर की भरपाई हो सके और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे।
- कूड़े कचरे को फैलने से बचाना और रेल परिसर में कूड़े का संरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।

(9). कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति की गई पहल का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

सतत व्यवसाय विकास

आईआरसीटीसी द्वारा सतत व्यवसाय विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख निदेशकों की रिपोर्ट में किया गया है।

चेतावनीपरक कथन :

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण और निदेशक की रिपोर्ट जिसमें कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण और अनुमानों का वर्णन है, एक दूरदर्शी एवं प्रगतिपरक कथन है और यह लागू कानूनों और विनयमों के अंतर्गत एक प्रगतिशील कथन है। वास्तविक आंकड़े बताये गए या अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं जो आर्थिक नीतियों, सरकारी नीतियों, और अन्य आनुषांगिक कारकों पर निर्भर कर सकते हैं पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे अग्रगामी कथनों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर न करें।

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध-II

फार्म 'क'

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटन

क. विद्युत और ईंधन खपत :

विवरण	2010-11	2009-2010
1. बिजली		
(क) खरीदी गई :		
यूनिटें ('000 केडब्ल्यूएच)	3200.37	2678.18
कुल राशि (लाख रु.)	148.38	139.89
दर/यूनिट (रु.)	4.63	5.22
(ख) निजी उत्पादन :		
डीजल जनरेटर के माध्यम से –		
यूनिटें ('000 केडब्ल्यूएच)	73.92	144.00
डीजल तेल की प्रति लीटर यूनिटें	2.70	3.12
लागत/यूनिट (रु.)	14.69	15.58
2. कोयला	शून्य	शून्य
3. फर्नेस ऑयल	शून्य	शून्य
4. नेचुरल गैस	शून्य	शून्य

ख. उत्पादन की प्रति यूनिट खपत :

विवरण	बिजली (केडब्ल्यूएच/प्रति		फर्नेस ऑयल		नेचुरल गैस		कोयला	
	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10
रेलनीर–पैक किया गया पीने का पानी	0.05	0.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फॉर्म ख

प्रौद्योगिकी समाहरण के संबंध में विवरण का प्रकटीकरणः

अनुसंधान और विकास

1. **विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और विकास कंपनी द्वारा किया जाता है :**

   शून्य

2. **उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त किया :**

   लागू नहीं

3. **भविष्य की कार्य योजना :**

   रेलनीर बोतल में पैकेजिंग की कीमत कम करने के लिए ''प्रीफार्म'' की फिर से डिजायनिंग की जाएगी ताकि वजन कम किया जा सके। एक संभावना 29/25 शार्ट हाइट नेक उपयोग करने की संभावना है, जो इस समय ''किनले'' ब्रांड के साथ कार्यन्वित की जानी है। वर्तमान में, 30/25, थ्री स्टार्ट नेक का प्रयोग किया जाता है। और इसका वजन 22 ग्राम है।

4. **वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय निम्नलिखितानुसार है :** (लाख रु. में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2010-11**	**2009-10**
क.	पूंजी	शून्य	3.70
ख.	आवर्ती	शून्य	शून्य
	जोड़	शून्य	3.70
	कुल कारोबार की प्रतिशतता (%) के रूप में अनुसंधान और विकास खर्च का जोड़	लागू नहीं	लागू नहीं

5. **प्रौद्योगिकी का समावेशन, अनुकूलन और परिवर्तन :**
   आयातित प्रौद्योगिकी :

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	समाहन की स्थिति
	शून्य	

6. **विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय :** **(**लाख रु. में**)**

विवरण	**2010-11**	**2009-2010**
विदेशी मुद्रा का अर्जन	1327.47	1347.61
विदेशी मुद्रा का व्ययः		
विदेशी यात्रा पर व्यय	25.22	29.40

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध–III

निगम की अभिशासन रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में कंपनी का उद्देश्य पारदर्शिता, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके अंत में शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है, जिससे न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन करना है, बल्कि संपूर्ण संगठन के नैतिक आचरण को भी बढ़ाना है। आईआरसीटीसी का मानना है कि अच्छे शासन मं प्रबंधन के पास ट्रस्टीशिप, सशक्तीकरण और जवाब देही की भावना के साथ–साथ सरकारी नीतियों के प्रति सकारात्मक और पहल कदमी वाला रूख होना चाहिए।

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेशण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कंपनी ने कॉरपोरेट संचालन, प्रकटन अपेक्षाओं की शर्तों का पालन किया है जो नीचे दर्शाई गई हैं।

2. बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2011 को निदेशक बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक, तीन कार्यरत निदेशक और एक सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक तथा चार अंशकालिक स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक हैं।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार हमारे बोर्ड की शक्ति चार निदेशकों से कम अथवा 12 निदेशकों से अधिक नहीं होगी। निदेशक चाहे पूर्ण कालिक हों अथवा अंशकालिक।

कारपोरेशन में निदेशक की नियुक्ति संगम अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

श्री नरेश सलेचा, कार्यकारी निदेशक (वित्त) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अंशकालिक निदेशक के पद से 01.12.2010 के बाद से नहीं हैं।

श्री विनय मित्तल, सदस्य यातायात, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड श्री विवेक सहाय के स्थान पर जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से मुक्त हो गए, 26.07.2011 को कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। श्री विवेक सहाय 01.07.2011 से कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के पद से मुक्त हो गए।

श्री जगदीश एस छोकर और श्री आलोक शिवपुरी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दिनांक 28.05.2011 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं हैं।

निदेशकों की आयु एवं कार्य अवधि :

प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी प्रबंध निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है :

प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा अधिवर्षिता की आयु तक अथवा भारत सरकार द्वारा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

31 मार्च, 2011 को वर्तमान स्थिति के अनुसार निदेशकों की कार्यावधि निम्नलिखित है :

निदेशकों का विवरण		नाम	बोर्ड में शामिल होने की तारीक	अंतिम अधिवर्षिता की आयु/कार्य अवधि के पूरा होने की तारीख
कोटि	पदनाम			
पूर्णकालिक निदेशक	प्रबंध निदेशक	राकेश कुमार टंडन	05.01.2009	04.01.2014
	निदेशक (प.एवं वि.)	डॉ. नलिन सिंघल	02.01.2007	01.01.2012
	निदेशक (खा.से.)	श्री विनोद अस्थाना	26.06.2007	25.06.2012
	निदेशक (वित्त)	श्री विश्व रंजन गुप्त	06.09.2008	05.09.2013
सरकारी नामित	अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री विवेक सहाय	14.01.2010	30.06.2011* (अधिवर्षिता
	निदेशक	श्री नरेश सलेचा	04.10.2006	01.12.2010 से कार्यभार छोड़ दिया
	निदेशक	श्रीमती मनी आनंद	14.05.2010	जब तक राष्ट्रपति चाहें
अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	श्री जगदीप सिंह छोकर	28.05.2008	28.05.2011से कार्यभार छोड़ दिया
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आलोक शिवपुरी	28.05.2008	28.05.2011से कार्यभार छोड़ दिया
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आर.एन.भारद्वाज	22.01.2009	21.01.2012
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आर.के.अग्रवाल	22.01.2009	21.01.2012

*श्री विनय मित्तल, अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड ने 26.07.2011 से अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

3. बोर्ड की बैठकें और उनमें उपस्थिति :

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं बैठकों की तारीख का निर्णय काफी समय रहते ले लिया जाता है और सूचना बोर्ड का विस्तृत कार्यवृत्त और बोर्ड के लिए अन्य व्याख्यात्मक नोट निदेशकों के बीच परिपत्रित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की कॉरपोरेशन की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है:

निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	निदेशकों की कोटि	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
(I) अंशकालिक गैर–कार्यपालक अध्यक्ष				
1.	सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री विवेक सहाय	5	जी हां
(II) कॉरपोरेशन के कार्यरत निदेशक				
2.	प्रबंध निदेशक	श्री राकेश कुमार टंडन	5	जी हां
3.	निदेशक	डॉ नलिन सिंघल	5	जी हां
4.	निदेशक	श्री विनोद अस्थाना	5	जी हां
5.	निदेशक (वित्त)	श्री विश्व रंजन गुप्त	5	जी हां
(III) रेल मंत्रालय द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक				
6.	निदेशक	श्री नरेश सलेचा	2	जी हां
7.	निदेशक	श्रीमती मनी आनंद	4	जी हां
(IV) स्वतंत्र अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक				
8.	निदेशक	श्री जगदीप सिह छोकर	3	जी हां
9.	निदेशक	श्री आलोक शिवपुरी	5	जी नहीं
10.	निदेशक	श्री आर.एन.भारद्वाज	3	जी नहीं
11.	निदेशक	श्री आर.के.अग्रवाल	5	जी नहीं

टिप्पणियां :

1. 'अंशकालिक सरकारी' पद सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा आईआरसीटीसी के बोर्ड के उन मनोनीत निदेशकों को सूचित करता है जो रेल मंत्रालय के पदाधिकारी हैं।
2. 'अंशकालिक गैर–सरकारी' पद उन निदेशकों को सूचित करता है जो स्वतंत्र हैं और सरकार में कोई पद धारण नहीं करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, निदेशक बोर्ड जून, 2010, दिसंबर, 2010 और मार्च, 2011 को समाप्त प्रत्येक तिमाही में एक बैठक करके कार्यसम्पादन करने के लिए 5 बैठकें की। सितंबर, 2010 की तिमाही में दो बैठकें की निदेशक बोर्ड की एक बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई और 4 बैठकें रेल भवन नई दिल्ली में की गईं। निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों में, अनुपस्थिति की छुट्टी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 283 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अंतर्गत मंजूर की गई। आईआरसीटीसी के बोर्ड की बैठक की तारीखों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	बोर्ड बैठक	बैठक की तारीख
1.	46वीं	10 मई, 2010
2.	47वीं	6 अगस्त, 2010
3.	48वीं	7 सितंबर, 2010
4.	49वीं	3 दिसंबर, 2010
5.	50वीं	24 जनवरी, 2011

वित्त वर्ष 2010–2011 के दौरान कंपनी के बोर्ड के निदेशकों का विवरण निम्नलिखित हैः–

निदेशक की हैसियत में और सभी कमेटियों में सदस्यों/अध्यक्ष की हैसियत का विवरण

नाम	कोटि	अन्य जगहों पर निदेशक	समिति की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष
श्री विवेक सहाय *	अंशकालिक अध्यक्ष	3	शून्य	शून्य
श्री राकेश कुमार टंडन	प्रबंध निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	1	शून्य	शून्य
डॉ. नलिन सिंघल	निदेशक (प.एवं वि.) (पूर्ण कालिक निदेशक)	1	1	शून्य
श्री विनोद अस्थाना	निदेशक (खा.से.) (पूर्ण कालिक निदेशक)	शून्य	1	शून्य
श्री विश्व रंजन गुप्त	निदेशक (वित्त) (पूर्ण कालिक निदेशक)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री नरेश सलेचा**	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	1	2	शून्य
श्री सुनील माथुर***	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	शून्य	शून्य	शून्य

श्रीमती मनी आनंद	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जगदीप सिह छोकर****	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	शून्य	1	शून्य
श्री आलोक शिवपुरी****	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	शून्य	1	शून्य
श्री आर.एन.भारद्वाज *****	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	10	8	4
श्री आर.के.अग्रवाल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	1	1	शून्य

*अंशकालिक अध्यक्ष का पद 01.07..2011 को छोड़ दिया।
** अंशकालिक सरकारी निदेशक का पद 01.12..2010 को छोड़ दिया।
*** अंशकालिक सरकारी निदेशक का पद 14.05..2010 को छोड़ दिया।
**** स्वतंत्र निदेशक का पद 28.05..2011 को छोड़ दिया।
***** प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक का पद शामिल नहीं किया गया है।

4. लेखापरीक्षा समिति

आईआरसीटीसी दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि नैतिकता किसी कारोबार का नींव का पत्थर है और लम्बी अवधि के कॉरपोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दृश्टि से, कंपनी के पास निदेशक बोर्ड की ऐसी योग्य एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है जिसमें वित्त तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सभी गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति ने कुशलतापूर्वक कार्यनिष्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

रिपोर्ट की तारीख को लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(i) श्री विनोद अस्थाना, निदेशक, (खानपान सेवाएं)

(ii) श्री आर.एन.भारद्वाज, निदेशक

(iii) श्री आर.के.अग्रवाल, निदेशक

श्री आर.एन. भारद्वाज समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री नीरज कुमार अग्रवाल कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

समिति लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट शासन के दिशा–निर्देशों और कंपनी अधिनियमों के अधीन संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करती है। समिति का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और बोर्ड को सिफारिश करना ;

- आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति;
- बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करना;
- लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में उनके कारणों सहित परिवर्तनों पर विचार करना;
- ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि में शर्तों के बारे में विचार–विमर्श करना;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा करना;

समिति ने वित्तीय वर्ष 2010–2011 के दौरान 05.07.2010, 06.09.2010,03.12.2010 और 26.03.2011 को चार बार बैठकें की : समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:–

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर.एन.भारद्वाज	अध्यक्ष	4	4
श्री विनोद अस्थाना	सदस्य	4	4
श्री जगदीप एस. छोकर	सदस्य	4	4
श्री आलोक शिवपुरी	सदस्य	4	4
श्री आर.के.अग्रवाल	सदस्य	4	4

5 निदेशकों का पारिश्रमिक

आईआरसीटीसी, कंपनी अधिनियम के अधीन सरकार की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी होने पर, कंपनी के कार्यरत निदेशक रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार नियुक्त कार्यरत निदेशक वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2010–11 दौरान निगम ने अपने पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नानुसार भुगतान किया है:–

(लाख रुप्ए में)

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते और परिलब्धियां	99.99	79.21
उपदान	2.26	2.19
अवकाश वेतन	3.44	3.34
रेलवे को दिया गया इतर सेवा अंश	2.82	2.82
कुल	**108.51**	**87.56**

कंपनी के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा मनोनीत) बोर्ड निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अशंकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) कंपनी के बोर्ड निदेशकों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने पर 10,000/–रु. प्रति बैठक का भुगतान किया गया।

6. प्रकटन

i. सामान्यतः कंपनी के साथ संभावित लाभ रखने वाला कोई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी से संबंधित लेनदेन नहीं हुआ है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान, लागू कानूनों के अंतर्गत पालन न होने के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई है।

iii. कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट शासन पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूरी तरह से पहल की है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अपने बोर्ड सदस्यों और वरिश्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण एवं नीति संहिता विकसित की तथा वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए निदेशक रिपोर्ट में कॉरपोरेट शासन एवं प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेशण रिपोर्ट भी शामिल की है।

iv. आईआरसीटीसी के बही खातों में नामे डाली गई खर्च की सभी मदें आईआरसीटीसी को सौंपे गए कारोबार के प्रयोजन के लिए है और कारोबार से सबंधित है।

v. निदेशक बोर्ड के लिए कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं है, सिवाए जो संविदागत बाध्यताओं के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हैं।

7. संचार व्यवस्था के साधन

लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम और वार्शिक रिपोर्ट कॉरपोरेट गवर्नेन्स मेनुअल और बोर्ड चार्टर, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड ईथीक्स आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.com पर प्रदर्शित किए जाते हैं। विभिन्न विभागों की निविदाएं, अन्य सरकारी प्रेस रिलीज के साथ आईआरसीटीसी की वित्तीय योजना और वास्तविक रूप से दी गई निविदाओं/संविदाओं का ब्यौरा भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। खानपान सेवाएं, रेल टिकटिंग सेवाएं आदि जैसी अग्रणी सेवाप्रदाता के रूप में भूमिका निभाने के अनुसार, आईआरसीटीसी ने कॉरपोरेट संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए।

8. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेट शासन के सिद्धातों के अनुसार आईआरसीटीसी के कारोबार मॉडल, जोखिम प्रोफाइल तथा अत्यधिक उचित उपायों, जिनमें वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, के बारे में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। व्यवहार के तौर पर बोर्ड में नए निदेशक का कार्यभार संभालने पर कंपनी से संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जिनमें वार्शिक रिपोर्ट, ज्ञापन एवं अंतर्नियम, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच हुए सझौता ज्ञापन शामिल हैं। कंपनी ने अपने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए उनके कतव्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कारोबार आचारण एवं नीति–संहिता भी बनाई है।

9. विसिल ब्लोअर पॉलिसी

इस समय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कंपनी में एक तंत्र की स्थापना की गई है ताकि मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक को सीधे किसी अनैतिक कार्य के बारे में वास्तव में अथवा संदेहास्पद छलकपट के बारे में रिपोर्ट कर सकें।

10. कारोबार आचरण एवं नीति–संहिता

आईआरसीटीसी के बोर्ड निदेशक के अनुमोदन के बाद, लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिश्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आईआरसीटीसी की मूल उपयोगिता के साथ अपनी कारोबार आचरण एवं नीति–संहिता निर्धारित की है।

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर की गई है।

अनुबंध–IV निदेशक रिपोर्ट

बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पताः फ्लैट न0 211, पॉकेट ए/3,
सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
फोनः011–27931217
मो0 9811387946
ई मेलः balikasharma@gmail.com

कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हमने, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगम अभिशासन 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में जैसा उल्लिखित है, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं और उन्हें लागू करने तक का ही हमारी जांच का दायरा रहा है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप कंपनी ने निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी की व्यवहार्यता के लिए न तो किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा निपटाए गए कंपनी के मामलों के संबंध में उनकी दक्षता या सक्रियता का प्रमाण है।

कृते बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स

हस्ता/–
बालिका शर्मा
प्रोपराइटर
कंपनी सचिव
सी.पी.नं. 3222
एम. नं. 4816

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त, 2011

भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेट्स

4648/21, दरियागंज
नई दिल्ली–110002
फोन : 23261054
फैक्स : 23252876
ई–मेल **bbjassociates rb@yahoo.co.in**

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड.

1. हमने इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलन–पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि–लेखा और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा की है, इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधतंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी राय के लिए हमारी लेखापरीक्षा उचित आधार है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में यथालागू एक विवरण संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गयी अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम यह स्पष्ट करते हैं कि :–

   (i) हमने वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

   (ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी हैं।

(iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और कैश फ्लो खाता बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और कैश फ्लो विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 को धारा 211 की उप–धारा 3 (ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

(v) यह कंपनी सरकारी कंपनी है और इसके निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अतः, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का उपबंध (छ) इसपर लागू नहीं होता इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है।

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण, 'क' साथ पठित अनुसूची 25 में दी गयी टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करती हैं:

(i) 31 मार्च, 2011 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के मामले में,

(ii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का, लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, और

(iii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कैश फ्लो का, कैश फ्लो विवरण के मामले में।

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
एफ आर एन : 0038840 एन

हस्ता./–

(सी.ए. रवि भारद्वाज)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 80656

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 02 सितंबर, 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट अनुबंध

(I) (क) कंपनी मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिव) ब्यौरा और अचल परिसंपत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रख रही है।

(ख) कंपनी के आकार और अचल परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार वास्तविक सत्यापन की यह एक प्रणाली है। प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगातियाँ नहीं पाई गई हैं।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अचल संपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है। अतः कंपनी का भविष्य प्रभावित नहीं होता।

(II) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान संपत्ति सूची की जाँच वास्तव में की गई है। कोई भी विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) हमारी राय में, कंपनी के अनुसार और उसके व्यावसायिक प्रकृति के संबंध में प्रबंधन द्वारा संपति–सूची के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं उचित और पर्याप्त हैं।

(ग) संपति रिकार्ड की जांच के आधार पर, हमारी राय में कंपनी संपत्तियों का उचित रिकार्ड रख रही है।

(III) अधिनियम 301 की धारा के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर के तहत आने वाली किसी सुरक्षित या असुरक्षित कंपनी फर्म या अन्य पाटिर्यों से किसी प्रकार का कोई ऋण लिया है न ही दिया है अतः सीएआरओ, 2003 के अनुच्छेद 4(**iii**) के उपबंध (क) से (छ) के अन्गर्गत किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(**IV**) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए संपत्तियों की सूची और नियत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया है। आगे, अपनी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने न तो कोई ऐसी निरंतर विफलता और न ही कोई बड़ी कमजोरी देखी है जिससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता हो।

(**V**) अपनी जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय मे वर्ष के दौरान ऐसा लेन देन नहीं किया गया जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(**VI**) कंपनी के रिकार्ड की अपनी संवीक्षा और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनसामान्य से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(**VII**) कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउन्टेंटों की फर्म द्वारा की जा रही है। दिया गया क्षेत्र कंपनी के आकार और व्यवयाय की प्रकृति के अनुरूप है।

(**VIII**) (घ) जैसी कि हमें सूचना दी गई है केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(।)(घ) के तहत लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नही किया है।

(**IX**) (क) जैसा कि हमें बताया गया है, और रिकार्डों की अपनी जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सहित अविवादित सांवैधानिक देयताओं सहित, जो भी लागू हो, को नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है और वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक अपने देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि की कोई भी सांविधिक देयता बकाया नहीं थी।

(ख) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विवादास्पद होने के कारण निम्नलिखित राशि को जमा नहीं किया गया है :–

स्थिति	**राशि (लाख रू.) में**	**विवाद लंबित होने का स्तर**
सेवाकर	239.03	सेवाकर आयुक्त
सेवाकर	169.06	सेवाकर आयुक्त
सेवाकर	19.18	आयुक्त (अपील)
आयकर	30.69	आयुक्त (अपील)
आयकर	7.33	आईटीएटी
वैट	15.82	सीटीओ, हैदराबाद

(**X**) कंपनी की कोई संचयी हानि नहीं है। 31 मार्च, 2011 को उसके तत्काल बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई हानि नहीं हुई।

(**XI**) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना के अुनसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं को अदायगी के मामले में चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।

(**XII**) कंपनी ने शेयर, डिबेन्चर और अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

(**XIII**) यह कंपनी कोई चिटफंड कंपनी, निधि/म्यूचुअल लाभ निधि/सोसायटी नहीं है, अतः सीएआरओ 2003 के अनुच्छेद 4 (**XIII**) के तहत किसी प्रकार की टिप्पणी देना अपेक्षित नहीं है।

(XIV) कंपनी कोई भी शेयर, प्रतिभूति, डिबेन्चर या अन्य निवेश नही कर रही है। अतः, सीएआरओ, 2003 के अनुच्छेद 4 (**XII**) के तहत किसी प्रकार की टिप्पणी देना अपेक्षित नहीं है।

(XV) अन्य लोगों द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है।

(XVI) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है।

(XVII) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर संक्षिप्त अवधि के आधार पर कोई भी निधि नहीं ली गई है, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(XVIII) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि के दौरान कंपनी ने किसी पार्टी को और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे जानेवाले रजिस्टर के अन्तर्गत आनेवाली कंपनियों को अधिमान्यता पर शेयरों का आबंटन नहीं किया है।

(XIX) कंपनी ने कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है, अतः सीएआरओ, 2003 के अनच्छेद 4 **(XIX)** के अन्तर्गत किसी टिप्पणी के दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(XX) कंपनी ने किसी सार्वजनिक निर्गम के द्वारा कोई निधि नहीं उगाही है अतः सीएआरओ, 2003 के अनुच्छेद 4 **(XX)** के अन्तर्गत किसी टिप्पणी के दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(XXI) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई किसी भी जालसाजी का पता नही चला है न ही किसी ने रिपोर्ट किया है।

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेट
एफआरएन 003884 एन

हस्ता /–
(सीए रवि भारद्वाज)
पार्टनर
सदस्यता नं. 80656

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर, 2011

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(लाख रु.में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2011 को राशि	31 मार्च, 2011 को राशि	31 मार्च, 2010 को राशि	31 मार्च, 2010 को राशि
निधियों के स्रोत					
शेयरधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी	I		2,000.00		2,000.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	II		19141.04		14,275.66
जोड़			**21,141.04**		**16,275.66**
निधियों का उपयोग					
अचल परिसंपत्तियां	III				
सकल ब्लाक		13,517.96		12,683.74	
घटाएँ : मूल्यह्रास		5,953.83		4,613.58	
शुद्ध ब्लाक		7,564.13		8,070.16	
जोड़ें : पूंजीगत चालू कार्य		1,636.08	9,200.21	759.99	8,830.15
निवेश	IV		0.20		250.20
आस्थगित कर परिसम्पित्तियाँ, (शुद्ध) (अनुसूची XXV में टिप्पणी 18 देखें)			0.00		93.89
चालू परिसम्पित्तियाँ, ऋण और अग्रिम					
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	V	0.12		0.12	
वस्तुसूचियाँ	VI	620.92		778.83	
फुटकर देनदारियाँ	VII	26,163.88		23,231.94	
नकद तथा बैंक शेष	VIII	24,610.76		19,800.43	
अन्य चालू परिसम्पित्तियाँ	IX	841.53		472.41	
ऋण व अग्रिम	X	14,698.27		16,231.08	
		66,935.48		60,514.81	
घटाएँ : चालू देयताएँ एवं प्रावधान	XI				
चालू देयताएँ		46,720.34		47,852.94	
प्रावधान		8,274.51		5,560.46	
		54,994.85		53,413.40	
शुद्ध चालू परिसम्पित्तियाँ			11,940.63		7,101.42
बट्टे खाते न डाले गए अथवा समायोजित न की गई सीमा तक विविध व्यय			-		-
जोड़			**21,141.04**		**16,275.66**
इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियां I से XXV तक अनुसूचियाँ लेखा की आंतरिक भाग बनती हैं	XXV				

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(हस्ता./–)	(हस्ता./–)	(हस्ता./–)	(हस्ता./–)
रवि भारद्वाज	**राकेश कुमार टंडन**	**वी.आर.गुप्त**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

एम.नं. – 080656
फर्म पंजी. नं. : 003884N
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर, 2011

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

लाभ एवं हानि लेखा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रु. में)

	अनुसूची	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
आय			
रेलनीर सहित विभागीय बिक्री	XII	22,092.20	16,731.56
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से प्राप्त आय	XIII	13,776.93	11,206.97
लाइसेंसी खानपान सेवाओं से प्राप्त आय	XIV	31,223.03	36,791.40
पर्यटन से आय	XV	6,703.93	4,472.54
सावधि जमा और स्रोत पर कर की कटौती (सकल) पर ब्याज की आमदनी (स्रोत पर कर की कटौती 175,71 लाख रु.(पिछले वर्ष 212,41 लाख रु.)		1,616.46	1,541.78
अन्य आय	XVI	1,080.29	1,452.38
	क	**76,492.84**	**72,196.63**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री	XVII	15,086.75	10,754.06
तैयार माल में (वृद्धि) /कमी	XVIII	165.64	(179.62)
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं का व्यय	XIX	20,122.69	27,415.35
पर्यटन का व्यय	XX	5,677.10	4,128.72
विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष व्यय	XXI	3,297.18	2,520.68
मानव संसाधन लागत	XXII	12,875.91	12,712.76
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय	XXIII	4,593.52	4,113.99
ब्याज पर खर्च		29.90	
निवेश के मूल्य में ह्रास का प्रावधान		250.00	-
मूल्यह्रास	III	1,415.19	1,254.73
	ख	**63,513.88**	**62,720.67**
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	**ग** XXIV	-	-
कर पूर्व लाभ	**(क–ख–ग)**	**12,978.96**	**9,475.96**
घटाएं :			
आयकर के लिए प्रावधान		6,806.44	3,451.33
आस्थगित कर (अनुसूची XXV में टिप्पणी 18 देखें)		93.89	(280.59)
कर पश्चात लाभ		**6,078.63**	**6,305.22**
अग्रानीत लाभ		1,283.96	954.11
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**7,362.59**	**7,259.33**
विनियोजन			
लाभांश – अंतरिम			400.00
– अंतिम		1215.73	861.00
लाभांश पर कर		197.22	214.32
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		4,500.00	4,500.00
आरक्षित निधि और अधिशेष के लिए लाभ (तुलन–पत्र)		**1,449.64**	**1,283.96**
प्रतिशेयर आय (10/–रु. प्रतिशेयर का अंकित मूल्य)			
मूल (रु. में)		**30.39**	**31.53**
तनुकृत (रु. में)		**30.39**	**31.53**
प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ	XXV		

I से XXV तक अनुसूचियाँ लेखा की आंतरिक भाग बनती हैं
इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(हस्ता./–)	(हस्ता./–)	(हस्ता./–)	(हस्ता./–)
रवि भारद्वाज	**राकेश कुमार टंडन**	**वी.आर.गुप्त**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

एम.नं. – 080656
फर्म पंजी. नं. : 003884N
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर, 2011

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

(लाख रु. में)

	2010–2011		2009–2010	
(क) परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मदें	12,978.96		9,475.96	
समायोजन				
मूल्यह्रास	1,415.19		1,254.73	
बेची गई परिसपत्ति पर हानि	5.29		13.68	
सीएसआर निधि में स्थानांतरण	199.70		-	
ब्याज आय	(1,616.46)		(1,541.78	
समायोजनों का जोड़	3.72		(273.38)	
चालू पूंजीगत परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ	12,982.68		9,202.58	
चालू पूंजीगत परिवर्तन				
वस्तु–सूचियों में कमी / (वृद्धि)	157.91		(259.64)	
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	(1,024.87)		(4,454.38)	
ट्रेड देय एवं प्रावधान	(737.89)		10,319.61	
परिचालन से अर्जित कैश	11,377.83		14,808.17	
पिछले वर्ष का आयकर	(1,449.64)		-	
प्रत्यक्ष प्रदत्त कर	(3,825.59)		(4,102.67)	
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध कैश		6,102.60		10,705.50
(ख) निवेश वाले कार्यकलापों से कैश फ्लो				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(1,790.49)		(5,076.92)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	8.27		10.71	
जेवी कंपनी में निवेश	250.00		-	
प्राप्त ब्याज	1,247.34		1,517.42	
निवेश वाले कार्यकलापों में प्रयुक्त शुद्ध कैश		(284.88)		(3,548.79)
(ग) वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
लाभांश प्रदत्त (लाभांश पर कर सहित)	(1007.39)		(1,089.22)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से शुद्ध कैश		(1,007.39		(1,089.22)
कैश और कैश तुल्यों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)		4,810.33		6,067.49
कैश और कैश तुल्यों का प्रारंभिक शेष		19,800.43		13732.94
कैश और कैश तुल्यों का अंतशेष (कैश और बैंक शेषों द्वारा प्रस्तुत)		24,610.76		19,800.43

टिप्पणियां :

1. कोष्ठक में आंकडे कैश आउट फ्लो सूचित करते हैं।
2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां (अनुसूची **XXV**) कैश फ्लो विवरण का अनिवार्य अंग बनती हैं।
3. पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्व्यवस्थित / पुनर्समूहित किया गया है।

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स — निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेन्ट

(हस्ता. / –)	(हस्ता. / –)	(हस्ता. / –)	(हस्ता. / –)
रवि भारद्वाज	**राकेश कुमार टंडन**	**वी.आर.गुप्त**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

एम.नं. – 080656

फर्म पंजी. नं. : 003884N

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 2 सितंबर, 2011

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन–पत्र के बनने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

	31 मार्च, 2011 को राशि	31 मार्च, 2010 को राशि
अनुसूची – I		
शेयर पूंजी		
अधिकृत पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00
(पिछले वर्ष प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर	2,000.00	2,000.00
(पिछले वर्ष प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर)	**2,000.00**	**2,000.00**
अनुसूची – II		
आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
क. सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	12,991.70	8,491.70
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	4,500.00	4,500.00
	17,491.70	**12,991.70**
ख. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		
सीएसआर निधि	199.70	
ग. लाभ एवं हानि खाता	1,283.96	954.11
प्रारंभिक शेष	165.68	329.85
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	**1,449.64**	**1,283.96**
आरक्षित निधि एवं अधिशेष (क+ख+ग)	**19,141.04**	**14,275.66**

अनुसूची–III

(I) अचल परिसंपत्तियाँ

(लाख रू. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2010 को मूल लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी / बिक्री	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार मूल लागत	1 अप्रैल, 2010 तक	2010–2011 वर्ष में	कमियों / बिक्री पर मूल्यह्रास	31 मार्च, 2011 तक	31 मार्च, 2011 को	31 मार्च, 2010 को
पट्टे पर भूमि*	61.28	-	-	61.28	-	-	-	-	61.28	61.28
पट्टे पर–कार्यालय विकास	751.24	207.09	-	958.33	294.04	70.77	(0.00)	364.84	593.49	457.17
भवन–फैक्टरी–पट्टे पर	354.00	-	-	354.00	69.98	11.82	-	81.80	272.20	284.02
भवन–कार्यालय– पट्टे पर	69.77	6.60	-	76.38	7.32	1.17	-	8.49	67.89	62.45
संयंत्र एवं मशीनरी	1,602.84	15.26	-	1,618.10	567.80	164.47	(0.01)	732.27	885.83	1,035.04
औजार एवं संयंत्र	0.24		0.18	0.06	-		-		0.06	0.24
कम्प्यूटर	3,048.24	234.57	71.89	3,210.92	2,214.33	381.60	63.80	2,532.13	678.79	833.91
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	544.35	25.33	4.14	565.54	303.40	52.06	3.42	352.05	213.49	240.95
कार्यालय उपकरण	919.21	281.33	10.77	1,189.77	417.51	189.47	5.40	601.57	588.19	501.70
वातानुकूलक	213.91	19.14	3.24	229.81	82.71	20.09	2.32	100.48	129.34	131.20
पट्टे पर–आवासीय फ्लेट	248.50	-	-	248.50	10.78	8.28	-	19.06	229.44	237.72
अमूर्त संपत्ति	1,060.59	120.75	-	1,181.34	625.76	234.60	(0.00)	860.36	320.98	434.83
लक्जरी पर्यटक रेलगाड़ी	3,809.57	14.37	-	3,823.94	19.92	280.86	-	300.78	3,523.16	3,789.65
जोड़	**12,683.74**	**924.44**	**90.22**	**13,517.96**	**4,613.58**	**1,415.19**	**74.94**	**5,953.83**	**7,564.13**	**8,070.16**
पिछले वर्ष	**7,636.09**	**5,139.92**	**92.26**	**12,683.74**	**3,423.54**	**1,254.73**	**64.69**	**4,613.58**	**8,070.16**	**4,212.55**

(ii) पूंजीगत चालू कार्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को	31 मार्च, 2010 को
बजट होटल परियोजना	29.16	29.16
इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय		6.41
रेलनीर संयंत्र–नांगलोई	11.45	3.96
रेलनीर संयंत्र– पलूर	1,503.89	652.49
रेलनीर – पश्चिम जोन	15.45	13.00
जनआहार पश्चिम जोन	13.62	
रेलनीर – दानापुर	53.50	43.00
आरआर–अहमदाबाद	4.99	4.99
वीआरआर–चेन्नै	-	0.72
बेस किचन–चेन्नै	1.25	1.25
सेलकिचन–बंगलोर	-	5.01
फूड फैक्ट्री नोएड़ा	2.76	
जोड़ (ii)	**1,636.08**	**759.99**
पिछले वर्ष	**759.99**	**90.58**
अचल परिसंपत्तियों का जोड़ (i) + (ii)	**9,200.21**	**8,830.15**

टिप्पणी :

* आईआरसीटीसी ने 99 वर्ष की अवधि के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट बजट होटल स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से पट्टे पर भूमि प्राप्त की है।

तुलन–पत्र के बनने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

		31 मार्च 2011 को राशि		31 मार्च 2010 को राशि	
अनुसूची–IV					
निवेश					
लम्बी अवधि के निवेश					
संयुक्त उद्यम इक्विटी में निवेश					
रॉयल इंडियन रेल टुअर लिमिटेड (25,00,000 शेयरों का मूल्य 10/–रू. प्रति शेयर)		250.00		250	
घटाए : निवेश के मूल्य में हास का प्रावधान		250.00	-	-	250.00
नॉन ट्रेड, एट कॉस्ट					
राष्ट्रीय बचत पत्र–VIII वाँ इश्यू 6 वर्षीय			0.20		0.20
(प्रतिभूति के रूप में बिक्री कर कार्यालय के पास गिरवी रखा गया)			**0.20**		**250.20**
चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम					
अनुसूची–V					
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज					
ब्याज प्रोद्भूत परन्तु राष्ट्रीय बचत पत्रों पर प्राप्य नहीं			0.12		0.12
			0.12		**0.12**
अनुसूची–VI					
वस्तुसूचियाँ					
(प्रबंधन द्वारा लिए गए, मूल्यांकन और प्रमाणित किए गए के रूप में)					
कच्चा माल			208.52		200.79
तैयार माल			235.60		426.78
ट्रेडिंग माल–पीडी मदें			176.80		151.26
			620.92		**778.83**
अनुसूची–VII					
फुटकर देनदार					
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए अप्रतिभूत शोध्य माना गया)					
–छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण					
शोध्य माना गया		17,505.61		15,108.50	
संदिग्ध माना गया		77.90		68.34	
	(क)	17,583.50		15,176.84	
– अन्य ऋण					
शोध्य माना गया		8,658.27		8,123.44	
संदिग्ध माना गया		-		-	
	(ख)	8,658.27		8,123.44	
जोड़	(क+ख)	26,241.78		23,300.28	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		77.90	26,163.88	68.34	23,231.94
			26,163.88		**23,231.94**
अनुसूची–VIII					
नकद एवं बैंक शेष					
(i) हस्तगत रोकड़			52.15		111.64
(ii) पारगमन में प्रेषण			-		2.00
(iii) चालू खाते में अनुसूचित बैंकों में शेष			2,935.80		2,671.30
(iv) आवाधिक एवं सावधि जमा में अनुसूचित बैंकों में शेष			21,622.81		17.015.49
(बैंक गारंटी के संबंध में न्यूनतम राशि के रूप में 31,24 लाख रु. रखे गए है, पिछले वर्ष 8.24 लाख रु.)			**24,610.76**		**19,800.43**

तुलन–पत्र के बनने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

		31 मार्च 2011 को राशि		31 मार्च 2010 को राशि
अनुसूची–IX				
अन्य चालू परिसम्पतियाँ				
ब्याज प्रोद्भूत परंतु अनुसूचित बैंकों में आवधिक एवं		841.53		472.41
मियादी जमा पर प्राप्त नहीं		**841.53**		**472.41**
अनुसूची–X				
ऋण एवं अग्रिम				
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए अप्रतिभूत शोध्य माना गया) नकद अथवा किस्म के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम				
शोध्य माना गया	2,514.50		2,341.56	
संदिग्ध माना गया	-		-	
	2,514.50	2,514.50	2,341.56	2,341.56
फ्लैटों के निर्माण के लिए भारतीय रेल के लिए पूंजी अग्रिम व भूमि प्रतिभूति एवं अन्य निक्षेप :		1,211.34		869.34
– सरकार / सांविधिक निकायों के पास	6,220.44		8,622.90	
– अन्य के पास	29.63	6,250.07	26.82	8,649.72
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर		4,676.08		4,301.39
अग्रिम फ्रिंज लाभ कर		-		0.43
पूर्व प्रदत्त व्यय		46.28		68.64
		14,698.27		**16,231.08**
अनुसूची–XI				
चालू देयताएँ और प्रावधान				
क. चालू देयताएँ				
(i) फुटकर लेनदार				
माल के लिए	935.33		1,001.13	
व्यय के लिए	12,450.14		9,088.78	
(एसएसआई को देय राशि–कुछ नहीं)				
(ii) सप्लायरों और लाइसेंसधारकों से निक्षेप				
प्रतिभूति निक्षेप	8,104.21		7,716.32	
अग्रिम धन जमा	1,718.74		2,124.64	
(iii) असमाप्त कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस एवं उपयोगकर्त्ता प्रभार				
असमाप्त कन्सेशन फीस	176,02		2,943.69	
असमाप्त लाइसेंस फीस	2,712.16		7,398.27	
असमाप्त उपयोगकर्त्ता प्रभार	12.32		23.64	
(iv) ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त	199.48		175.92	
(v) अन्य चालू देयताएँ				
अन्य देयताएँ	20,076.13		16,981.96	
भुगतान करने योग्य कर	335.81	46,720.34	398.59	47,852.94
ख. प्रावधान				
प्रस्तावित लाभांश	1,215.73		861.05	
लाभांश कर के लिए प्रावधान	197.22		146.34	
लाभ कर के लिए प्रावधान	5,356.80		3,451.33	
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	1,504.76	8,274.51	1,101.74	5,560.46
जोड़ (क+ख)		**54,994.85**		**53,413.40**

लाभ एवं हानि लेखा के बनने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	
आय				
अनुसूची–XII				
रेल नीर सहित विभागीय बिक्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित परंतु बिक्री कर रहित सकल) बिकी कर	2,706.15		2,518.75	
घटाएं : उत्पाद शुल्क	326.76	2,379.39	291.73	2,227.02
2) विभागीय खानपान –				
खाद्य एवं पेय पदार्थो की बिक्री		19,048.58		14,115.89
आउट डोर खानपान से आय		664.23		388.65
	जोड़ (1+2)	**22,092.20**		**16,731.56**
अनुसूची–XIII				
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से आय		12,369.37		
अर्जित सेवा प्रभार – भा.रे.टिकटें		100.00		11,124.90
लाइसेंस फीस–कॉल सेन्टर से आय		35.83		75.00
संदेश सेवाओं से आय / [illegible] टिकटिंग से आय		1,271.73		7.07
				-
		13,776.93		**11,206.97**
अनुसूची–XIV				
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं से आय				
(क) खानपान एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं से आय				
ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं –राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों से आय		13,109.61		15,329.00
बेड रोल एवं सफाई सेवाओं से आय		1,235.28		1,780.75
		14,344.89		**17,109.75**
(ख) कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस आदि से आय				
कन्सेशन फीस से आय		2,664.88		1,770.70
लाइसेंस फीस से आय		12,657.92		16,480.85
उपयोगकर्त्ता प्रभार – फूड प्लाजा से आय		418.97		418.71
लाइसेंस फीस – फूड प्लाजा से आय		1,136.37		1,011.39
		16,878.14		**19,681.65**
	जोड़ (क+ख)	**31,223.03**		**36,791.40**
अनुसूची– XV				
पर्यटन से आय				
यात्रा व टुअर से आय		6,228.19		4,338.07
उपयोगकर्त्ता प्रभारों से आय – रेल यात्री निवास		82.08		76.71
लाइसेंस फीस से आय – रेल यात्री निवास		73.30		57.76
एलटीटी से लीज किराया आय		320.36		-
		6,703.93		**4,472.54**
अनुसूची–XVI				
अन्य आय				
अन्य ब्याज आय		1.17		0.27
विज्ञापन/भारतीय स्टेट बैंक कोब्रान्डेड कार्डो और लॉयल्टी		414.86		513.52
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि की फीस से आय		88.60		569.37
वेंडिंग से आय		81.12		73.17
अधिक प्रावधान प्रतिलेखन (Written Back)		0.84		8.21
प्रत्यादेश प्रभार एवं जब्त की गई जमानत जमा		11.42		0.45
संविदाओं की जब्ती पर प्रोद्भूत आय		69.74		2.37
निविदा फार्मों की बिक्री		8.81		23.73
विविध आय		403.73		261.29
		1,080.29		**1,452.38**

लाभ एवं हानि लेखा के बनने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	
व्यय				
अनुसूची–XVII				
उपभोग की गई सामग्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
प्रारंभिक स्टाक	59.70		32.07	
जोड़ें : खरीद और व्यय	2,065.76		1,544.37	
	2,125.46		1,576.44	
घटाएं : अंतिम स्टाक	92.92	2,032.54	59.70	1,516.74
2) विभागीय खानपान				
क) उपभोग किया गया कच्चा माल				
प्रारंभिक स्टाक	141.09		88.71	
जोड़ें : खरीद	5,281.17		4,064.32	
	5,422.26		4,153.03	
घटाएं : अंतिम स्टाक	115.60	5,306.66	141.09	4,011.94
ख) पुनः बिक्री के लिए पीडी मदों की खरीद		7,269.44		4,915.01
ग) खरीद – बाह्य खानपान		478.12		310.37
जोड़ (1+2)		**15,086.75**		**10,754.06**
अनुसूची–XVIII				
तैयार माल में वृद्धि/कमी				
रेलनीर–पैक किया गया पीने का पानी				
प्रारंभिक स्टाक –				
तैयार माल	426.76		240.93	
	426.76		240.93	
अंतिम स्टाक –				
तैयार माल	235.54	191.22	426.76	(185.83)
विभागीय खानपान				
प्रारंभिक स्टाक –				
तैयार माल	0.02		0.72	
पीडी मदे	151.26		156.77	
	151.28		157.49	
अंतिम स्टाक –				
तैयार माल	0.06		0.02	
पीडी मदे	176.80	(25.58)	151.26	6.21
	176.86	**165.64**	151.28	**(179.62)**
अनुसूची–XIX				
लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं का व्यय				
(क) केटरिंग एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं का व्यय				
ऑन बोर्ड केटरिंग प्रभार–राजधानी व शताब्दी ट्रेनें		13,109.61		15,329.00
सेवा प्रभार –बेड रोल एवं सफाई सेवाएं		1,235.28		1,780.75
वैट व्यय		773.81		3,372.00
		15,118.70		**20,481.75**
(ख) कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस, कर्षण आदि का व्यय				
कन्सेशन फीस		399.73		265.60
लाइसेंस फीस		2,369.48		3,095.37
उपयोगकर्त्ता प्रभार – फूड प्लाजा		167.59		167.48
लाइसेंस फीस – फूड प्लाजा		454.55		404.56
कर्षण प्रभार		912.00		3,000.00
प्रदत्त लाइसेंस फीस रेल भूमि–फूड प्लाजा		0.63		0.59
सेवा कर – फूड प्लाजा		700.01		-
		5,003.99		**6,933.60**
जोड़ (क+ख)		**20,122.69**		**27,415.35**

लाभ एवं हानि लेखा के बनने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	
अनुसूची–XX				
पर्यटन का व्यय				
यात्रा व टुअर व्यय		5,561.63		3,988.60
लाइसेंस फीस–बजट होटल		18.32		14.44
उपयोगकर्त्ता प्रभार–बजट होटल		20.52		19.17
प्रदत्त लाइसेंस फीस रेलवे भूमि–बजट होटल		0.04		0.04
		76.59		106.47
रख–रखाव एवं अन्य प्रभार		**5,677.10**		**4,128.72**
अनुसूची–XXI				
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय				
(क) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार		454.00		313.72
लाइसेंस फीस रेलवे भूमि		26.85		23.62
बिजली एवं ईधन		155.97		166.75
मरम्मत एवं अनुरक्षण–संयंत्र एवं मशीनरी	5.63		2.83	
मरम्मत एवं अनुरक्षण–अन्य	7.02	12.65	5.16	7.99
अन्य प्रत्यक्ष व्यय		23.90		14.81
		673.37		**526.89**
ख) विभागीय खानपान				
मालभाड़ा आवक लदान और उतराई–केटरिंग		17.23		8.93
खाद्य निरीक्षण व्यय		5.23		0.04
ईधन		752.13		581.53
बेड रोल एवं सफाई सेवाप्रभार		3.95		31.83
		778.54		**622.33**
ग) इंटरनेट टिकटिंग				
अनुरक्षण और अन्य प्रभार		1,243.69		688.56
लायल्टी कार्ड जारी व्यय		37.84		30.69
इंटरनेट उपयोग प्रभार		563.74		652.21
		1,845.27		**1,371.46**
जोड़ (क+ख+ग)		**3,297.18**		**2,520.68**
अनुसूची–XXII				
मानव संसाधन लागत				
क : निदेशक				
निदेशकों के वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रोद्भूत छुट्टी और पेंशन के लिए प्रावधान		108.51		87.56
		108.51		**87.56**
ख : अन्य				
वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रतिपूर्ति				
बोनस और प्रोद्भूत छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान		6,593.23		7,943.06
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		2,174.08		1,715.71
– अन्य				
भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधियों में अंशदान :				
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		942.47		1,195.90
– अन्य		270.04		100.11
मा.सं.वि. और प्रशिक्षण व्यय		16.12		23.41
भर्ती व्यय		(10.92)		5.41
कर्मचारी कल्याण व्यय		65.36		38.10
परामर्शदाताओं को भुगतान		347.57		286.28
जनशक्ति सहायता प्रभार		2,312.27		1,236.69
प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे		57.18		80.53
		12,767.40		**12,625.20**
जोड़ (क+ख)		**12,875.91**		**12,712.76**

लाभ एवं हानि लेखा के बनने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	
अनुसूची–XXIII					
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय					
क. प्रशासनिक व्यय					
सुरक्षा प्रभार			84.00		58.71
स्थानीय वाहन प्रभार			170.06		193.93
यात्रा व्यय :					
निदेशक–स्वदेश		12.63		19.54	
अन्य – स्वदेश		527.32		421.45	
निदेशक–विदेश		7.85		3.11	
अन्य – विदेश		17.37	565.17	26.29	470.39
कार्यालय एवं मरम्मत व्यय			333·47		246.01
किराया दरें और करः					
कार्यालय किराया			636.54		579.23
शुल्क, दरें एवं करें			32.87		40.46
बिजली और पानी प्रभार			152.20		123.30
बैंक प्रभार			54.78		25.24
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ			16.51		22.76
बीमा व्यय			33.56		24.90
डाक एवं कूरियर प्रभार			25.82		27.82
मुद्रण एवं लेखन सामग्री			144.28		139.51
टेलीफोन व्यय			215.72		195.29
इंटरनेट एवं लीज्ड लाइन व्यय			4.30		4.39
विविध व्यय			23.82		36.08
चंदा एवं सदस्यता शुल्क			10.75		11.45
दान			0.15		3.72
बैठक एवं सेमिनार व्यय			15.91		23.77
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक			5.08		4.58
लेखापरीक्षक आउट ऑफ पॉकिट व्यय			5.54		3.55
आंतरिक लेखा परीक्षा व्यय			4.65		4.65
प्रदत्त ब्याज–अन्य			10.81		5.25
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय			130.85		178.29
ईआरपी अनुरक्षण प्रभार			164.54		166.11
प्रोसेसिंग शुल्क			0.44		2.69
अचल परिसंपत्तियों के हटाने/उनकी बिक्री पर हानि			5.29		13.68
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व			225.00		–
			3,072.11		**2,605.76**
ख. बिक्री, वितरण संबंधी व्यय					
विज्ञापन व्यय			293.81		374.81
कारोबार विकास व्यय			74.23		59.47
बैंडरों को प्रदत्त कमीशन			463.97		455.55
ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण व्यय			14.24		29.00
मालभाड़ा, जावक और सीएफए प्रभार			598.63		408.27
डाक व्यय एवं कूरियर प्रभार			66.97		114.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			9.56		67.13
			1,521.41		**1,508.23**
जोड़	**(क+ख)**		**4,593.52**		**4,113.99**
अनुसूची–XXIV					
पूर्व अवधि की आय/व्यय (शुद्ध) का समायोजन					
पूर्व–अवधि आय			-		-
पूर्व–अवधि व्यय			-		-

अनुसूची – XXV

लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ

(क) वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट अनिवार्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ख) लेखाकरण की विधि

कॉरपोरेशन, परंपरागत लागत कन्वेंशन के अंतर्गत आय के आधार पर बीमा दावा और 1.11.2006 से उन अचल खानपान स्टालों के लाइसेंसधारकों जिनको ठेका रेलों द्वारा दिया गया था, से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस से आय की रिकार्ड बंदी करने के सिवाय लेखाकरण का प्रोद्भवन आधार अपना रहा है।

(ग) अनुमानों का उपयोग

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन को ऐसे अनुमान और कल्पनाएं करने की अपेक्षा की जाती है जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों व देयतायों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटनों की रिपोर्ट की गई रकम एवं रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रकम को प्रभावित करती है। वास्तविक आकड़े अनुमान से भिन्न हो सकते है। ऐसे अनुमाानों में कोई संशोधन होता है तो उसकी पहचान उनके निर्धारण की अवधि में की जाती है।

(घ) राजस्व की पहचान

कॉरपोरेशन केटरिंग सर्विस (चल और अचल दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल और सफाई सेवाएं, विभागीय केटरिंग यूनिटों के परिचालन करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा के परिचालन, स्थायी खानपान स्टालों, एवीएमएस के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क–139 कॉल सेन्टर का प्रबंध संभालने, विख्यात टुअर आपरेटरों के माध्यम से पैकेज टुअरों की व्यवस्था करने, संपूर्ण टुअर पैकेजों का प्रबंध संभालने, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी के विनिर्माण एवं वितरण आदि के कारोबार में लगा है।

1. बिक्री :

जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी, स्क्रेप, खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री की पहचान की जाती है और जहां कहीं लागू है, उत्पाद शुल्क घटाकर, एएस 9 के अनुसार वैट आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर–डिपो और अंतर–यूनिट अंतरण शामिल नहीं होते हैं।

2. इंटरनेट टिकटिंग से आय :

इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट–समर्थित पेमेन्ट गेटवे www.irctc.co.in के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है।

3. खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी केटरिंग सर्विस से अपनी आय की पहचान निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती है :–

(क) ऑन बोर्ड (ट्रेन में) खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रोद्भवन के आधार पर भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखे में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :

कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :–

क्र. सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस
2.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना	(i) कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और खानपान नीति, 2005 से पूर्व ठेके पर दिए गए ट्रेनों के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
4	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस। (ii) स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस ।

5	रेलवे स्टेशनों पर अचल यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और निर्धारित लाइसेंस फीस. (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई है/लेखा–जोखा किया गया है :–

(i) कन्सेशन फीस : राजस्व की पहचान से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस.9.) में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कंट्रैक्ट की अवधि में आय की पहचान मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक–बारगी कन्सेशन फीस (असमाप्त कन्सेशन फीस) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों को रद्द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण ट्रेनों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

(ii) उपयोगकर्ता प्रभार : फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारकों द्वारा देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक वे कार्यरत रहें।

(iii) लाइसेंस फीस :

(क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक वे कार्यरत रहें।

(ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाओं की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ग) लाइसेंसफीस को पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंध और हस्तांतरण करने के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iv) ठेकों को जब्त करने से प्रोद्भूत आय : निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय की पहचान निम्नलिखित अनुसार की गई है :

(क) ठेका समाप्त किये जाने की तारीख तक, कन्सेशन फीस के संबंध में आय की पहचान कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर तथा लाइसेंस फीस के मामले में उस अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर की जाती है जिस अवधि में ट्रेन का परिचालन हुआ है।

(ख) अन्य आय : ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।

4. पैकेज टुअरों से आय :

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टूअरों के अधीन विशेष ट्रेनों, विशेष कोच चार्टरों और शायिकाओं की बुकिंग करने में लगा है। विशेष ट्रेनों/कोच चार्टरों से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराये के एक निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। वैल्यू एडिड टूअरों के मामले में, आय में किराया, ब्लाक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराये के निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन सेवा प्रभार सम्मिलित होता है।

संपूर्ण टुअर पैकेजों और बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर की शुद्ध कुल रकम शामिल होती है।

5. टीडीआर सहित सावधि जमाराशियों से ब्याज से आय :

सावधि जमा राशियों और टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

6. ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंसः

विदेश व्यापार नीति–2004–2009 के अनुसार 'सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम' के तहत एक गैर हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस प्राप्त किया गया है। उक्त लाइसेंस का प्रयोग कुछ निर्धारित मदों के लिए सीमा और आयात शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

(ड.) व्यय :

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे जो कि निश्चेय नहीं है, निश्चित हो जाने पर लेखा में लिया जाता है।

1. रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :

व्यय को प्रोद्भवन होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

2. **इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :**
व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

3. **भुगतान किया गया खानपान प्रभार :**

(क) ऑनबोर्ड (ट्रेन में) केटरिंग प्रभार : ठेकेदार को भुगतान किए गए केटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस फीस और कर्षण प्रभार :–

इस शीर्ष अंतर्गत व्यय की निम्नलिखितानुसार पहचान की गई है/उसका लेखा–जोखा किया गया है:

(i) **भुगतान की गई कन्सेशन फीस :** ऑन बोर्ड केटरिंग ठेका, एवीएम, अचल यूनिटों आदि के संबंध में भारतीय रेलवे को देय कन्सेशन फीस की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन फीस के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि ट्रेनों के लिए ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रद्द /समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

(ii) **भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार :** फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iii) **भुगतान की गई लाइसेंस फीस :**

(क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) भारतीय रेल को देय परिवर्तनीय लाइसेंस फीस को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iv) **पर्यटन व्ययः**

भारतीय रेल द्वारा ली जाने वाली टिकट की कीमत, अन्य प्रभार, यदि कोई हों, और विशेष गाड़ी/कोच चार्टर/बर्थ बुक कराने पर सेवा प्रभारों की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

पूरे टुअर पैकेज और बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी के मामले में, भारतीय रेल द्वारा ली गई टिकट की कीमत, अन्य प्रभार यदि कोई हो, सड़क यात्रा व्यय, आवास एवं भोजन प्रभार आदि की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

4. पूर्व अवधि व्यय

पूर्व अवधि से सम्बन्धित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में 1,00,000/–रु. से अधिक नही होती, उसे चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

च. अचल परिसम्पत्तियां ओर अमूर्त परिसम्पत्तियां

(I) अचल परिसम्पत्तियों का उल्लेख स्थापना प्रभार और अन्य संबंधित व्यय सहित अधिग्रहण किए जाने की कीमत पर किया जाता है।

(ii) कम्पयूटरों के मामले में, कम्पयूटर के साथ खरीदे गये आपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कीमत कम्पयूटर के साथ पंजीकृत कर दी गई है जबकि, नियमित अपग्रेड और वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों को राजस्व व्यय माना गया है।

(iii) कार्यालय परिसर के लिए पट्टाधृति भवनों पर व्यय को लीजहोल्ड ऑफिस डेवलपमेंट के रुप में पूंजीकृत किया गया है।

(iv) अमूर्त परिसंपत्तियां अधिग्रहण हेतु किए गए भुगतान पर रिकार्ड की जाती है। पूर्व के वर्षो में कम्पयूटरों के साथ पूंजीकृत किए जाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रभार, वेबपोर्टल, पर्यटन पोर्टल के व्यय को अब इंन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की विशेषज्ञ सुझाव समिति द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2009 को दिए गए सुझाव के अनुसार अब इन्हें अमूर्त शीर्ष के तहत पूंजीकृत किया गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु 4 वर्ष मानी गई है।

(v) ऐसी खानपान इकाइयों में रखे गए यंत्रों एवं संयंत्रों को ''जहाँ है जैसा है'' के आधार पर लिया जाता है। चूंकि इन परिसंपत्तियो का मूल्य उपलब्ध नहीं है अतः इनकी वास्तविक पहचान के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यलयों के खाते में 1/– रु. प्रति मद के नाम मात्र की कीमत पर इनकी गणना की जाती है।

(vi) लग्जरी टूरिस्ट गाड़ी को अचल परिसंपत्ति अनुसूची में पूंजीकृत किया गया है और ''लग्जरी टूरिस्ट गाड़ी'' के रुप में दर्शाया गया है।

छ. चालू पंजीगत कार्य

बजट होटलों पर व्यय, पालूर के रेलनीर संयंत्र के बकाया कार्यों को चालू पूंजीगत कार्यों के तहत वर्गीकृत किया जाता है और कार्य पूरा होने के बाद संबंधित शीर्षों को आबंटित कर दिया जायेगा।

ज. मूल्यह्रास

i. कॉरपोरेशन नांगलोई और दानापुर में स्थित रेलनीर संयंत्रों के भवनों और संयंत्र एवं मशीनरी तथा अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की सीधी पद्धति और अन्य परिसंपतियों के संबंध में ह्रासित मूल्य पद्धति अपना रहा हैं। मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट दरों पर दिया जाता है। मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से यथानुपात के आधार पर परिकलित किया जाता है। वर्ष के दौरान मूल्यह्रास परिसंपतियों की बिक्री, छांटने तथा क्षति होने की तारीख तक दिया जाता है।

ii. जिन विशेष परिसंपत्तियों के अर्जन की वास्तविक लागत वर्ष के दौरान 5000/– रुपये (पांच हजार रुपये) से अधिक नहीं है, उनके मामले में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

iii. पट्टाधृति–कार्यालय परिसरों के संबंध में कार्यालय विकास का पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास किया गया है।

iv. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु 5 साल मानी गई और ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सीधी पद्धत्ति के आधार पर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया गया है।

v. लग्जरी पर्यटक गाड़ी पर मूल्यह्रास निम्न कारणों से हुआ है :–

स्ट्रेट लाइन मेथड पर कोच (बेयर खोल) और आंतरिक साज–सज्जा क्रमशः 4.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 13.58 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की गई है जिससे वास्तविक लागत 5 प्रतिशत रेसीडयूअल वैल्यू रह जाती है।

लिखित डाउन वैल्यू पर 13.91 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वातानुकूलन पर मूल्यह्रास हुआ है जिससे वास्तविक लागत का 5 प्रतिशत रेसीड्यूअल वैल्यू रह जाती है।

vi. लीज़होल्ड भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के मामले में मल्यह्रास भूमि की लीज़ के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

झ. वस्तुसूचियाँ :

(i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, मशीन के अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर (केनवेट (CENVAT) का शुद्ध, जहां कहीं लागू हो) शामिल होते हैं और वह फाइफो (FIFO) के आधार पर घटित होता है।

(iii) तैयार माल और चालू कार्य की लागत में कच्चे माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथालागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, शामिल है।

(iv) पीडी मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फाइफो (FIFO) के आधार पर लागत पर किया जाता है।

ञ. निवेश :–

लागत रहित प्रावधान, यदि कोई हो, पर लंबी अवधि के निवेश किए जाते हैं ताकि इस प्रकार के निवेश के मूल्य में स्थाई ह्रास किया जा सके।

ट. कर्मचारी हित :

(i). उपदान के लिए प्रावधान/देयताएं वर्ष के अन्त में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती हैं और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

(ii). प्रतिनियुक्त/मानिद प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए इतर सेवा अंशदान–पेंशन और छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान/देयताएं सरकारी नियमों/ विनियमों के अनुसार बनाई जाती है और प्रोद्भवन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित की जाती हैं।

ठ. अनुदान

संबंधित परिसंपत्ति की कीमत के लिए विशिष्ट परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में अनुदान समायोजित किए जाते है। राजस्व व्यय के संबंध में अनुदान संबंधित व्यय पर समायोजित किया जाता है।

ड. कराधान :

(i) कॉरपोरेशन ने वर्तमान आयकर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर व्यवस्था की है।

(ii) कॉरपोरेशन ने आस्थगित कराधान को भारतीय सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखाकरण'' पर लेखाकरण मानक (एएस) 22 के अनुरूप लेखा में दिया है।

(iii) वर्ष के लिए बुक लाभ व कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतरों के आधार पर आस्थगित कर उन कर दरों तथा कानूनों को लागू कर लेखा में लिया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। समय के अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान उस उचित निश्चितता की सीमा तक की जाती है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है।

ढ. फुटकर देनदार/अग्रिम :

फुटकर देनदारों/अग्रिमों को अशोध्य के रूप में माने गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बाद दर्शाया जाता है । संदिग्ध माने गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

ण. परिसंपत्तियों का नाकारा हो जाना :

परिसंपत्तियों के नाकारा हो जाने से संबंधित एएस–28 में यथा वर्णित नकदी सृजन करने वाली इकाइयों की तुलन पत्र तारीख में पहचान की गई जिन्हें ले जाई गई राशि की तुलना में वसूल की जाने वाली राशि तथा परिसंपत्तियों के नाकारा होने का रूप में लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है। यदि उस नकारा होजाने वाली हानि को वापस करना आवश्यक हो तो उसकी वापसी वाले वर्ष में व्यवस्था की गई है।

त. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को मौजूद विदेशी मुद्रा विनिमय की दर पर किया गया है जिसे उसी दर पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में तुलनपत्र बनने की तारीख को मौजूद विदेशी मुद्रा विनिमय की दर में परिवर्तित करके दर्शाया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. **आकस्मिक देयताएँ :**

कंपनी के विरूद्ध लम्बित अपीलीय / न्यायिक निर्णय के दावे।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2011 को	31 मार्च, 2010 को
(क)	आयकर	38.12	49.13
(ख)	वैट	21.49	––
(ग)	कर्मचारी अदालती मामले –एससीजेड	9.20	––
	जोड़	68.81	49.13

कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में नहीं लिया जाता। (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010 को
(क)	सेवाकर	427.28	472.88
(ख)	पूर्व रेलवे को किराया	5.11	––
((ग)	अन्य	1.90	––
	जोड़	434.29	472.88

2. पूंजी लेखे में बकाया ठेकों की अनुमानित राशि, जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 192.31 लाख रुपए बनती है जबकि पिछले वर्ष यह 1000.70 लाख रुपए थी।

3. **निदेशकों का पारिश्रमिक**

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते एवं अनुलाभ	99.99	79.21
उपदान	2.26	2.19
छुट्टी वेतन	3.44	3.34
रेलवे को अदा किया गया एफएससी	2.82	2.82
जोड़	**108.51**	**87.56**

4. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.87	2.54
कर लेखा परीक्षा शुल्क	1.44	1.27
अन्य कार्यों में	0.77	0.77
पॉकिट में से व्यय	2.11	1.64
जोड़	**7.19**	**6.22**

5. उत्पादन : -

(i) रेलनीर–पैक किया गया पीने का पानी :

(संख्या हजार में)

मद विवरण	यूनिट	स्थान	संस्थापित क्षमता*		उत्पादन**	
			2010-11	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**
रेलनीर पैक किया गया पीने का पानी	1000 मि. ली. की बोतलें	नांगलोई	33354	33354	32796	31940
		दानापुर	33354	24534	31234	22276
जोड़			**66708**	**57888**	**64030**	**54216**

* संस्थापित क्षमता तीन–शिफ्ट के आधार पर 327 दिनों के लिए है।

** जनवरी, 2010 से रेलनीर संयंत्र दानापुर की संस्थापित क्षमता 66000 बोतल प्रतिदिन से बढ़कर 102000 बोतल प्रतिदिन हो गई है।

(ii) विभागीय केटरिंग :-

विभागीय खानपान इकाइयों में रेलवे तथा बाह्य खानपान दोनों शामिल हैं जो विभिन्न खाद्य वस्तुओं को तैयार कराती हैं। चूंकि, तैयार की गई वस्तुएं मिलेजुले स्वरूप की है अतः उत्पादित/विनिर्मित वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

6. स्टॉक और कुल बिक्री (टर्नओवर) :-

(i) रेलनीर पैक किया गया पीने का पानी :-

	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
वर्ष	बोतलें	मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (हजार में)	मूल्य* (लाख रु. में)
2010-11	बोतलें 1000 मि.ली की	6390	426.76	4246	235.54	66166	2379.39
2009-10		3909	240.93	6390	426.76	51735	2227.02

* उत्पाद शुल्क और बिक्री कर सहित बिक्री.
** 1936.31 रु. लाख रेलनीर की बिक्री (पिछले वर्ष रु. 1374.56 लाख) विभागीय खानपान खंड में शामिल हैं।

(ii) विभागीय केटरिंग :–

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री*	
		मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)
2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	151.28	उपलब्ध नहीं	176.86	उपलब्ध नहीं	19712.81
2009-10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	157.48	उपलब्ध नहीं	151.28	उपलब्ध नहीं	14504.54

* इसमें पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई पी डी चीजें शामिल हैं। पी डी चीजें, पैक की गई स्थिति में, बाजार से खरीदी गई और रेलवे स्टेशनो/बाह्य खानपान इकाई पर बेची गई जैसे नमकीन, बिस्कुट और मिनरल वाटर आदि स्वामित्व वितरण वाली चीजें हैं,

(iii) विभागीय केटरिंग – बेडरोल एवं सफाई सेवाएं :–

चूंकि ठेके वृहत सेवा के तहत थे अतः ठेकागत बाध्यताओं के कारण लाइसेंसी द्वारा प्रबंधित कुछ गाड़ियों को छोड़कर बेडरोल सेवाएं 01.08.2007 से दिनांक 01.08.07 के पत्र सं. 2006/टीजी–III/645/4 के अनुसार कंपनी से हटा ली गई है, इसके अलावा, कुछ गाड़ियों में क्षेत्रीय रेलों ने बेडरोल सेवाएं वापस नहीं ली है, इसके कारण 1235.28 लाख (पिछले वर्ष 1780.75 लाख) रु. की आय इस खाते में बुक की गई है।

7. उपयोग किया गया कच्चा माल :

(i) रेलनीर :

	यूनिट	2010-2011		2009-2010	
		मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)
प्रीफार्म्स	संख्या	66864	1308.87	55866	991.70
केप्स	संख्या	68253	215.30	54982	164.67
लेबल	संख्या	64805	101.10	54656	66.99
कार्टन्स	संख्या	5746	391.08	4603	278.64
बॉप्प टेप्स	रोल्स	7.77	16.19	7	14.74
जोड़			2032.54		1516.74

(ii) विभागीय केटरिंग :

	2010-11		2009-10	
	मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (हजार में)	मूल्य (लाख रु. में)
उपयोग किया गया कच्चा माल	उपलब्ध नहीं	5784.78	उपलब्ध नहीं	4322.31

बाह्य खानपान इकाई सहित विभागीय इकाइयां जो खानपान कार्यकलापों में लगी हैं वस्तुओं का बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की असंख्य वस्तुओं का उपयोग कर रही हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएँ विषम स्वरूप की हैं। अतः उपयोग की गई वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी का मात्रात्मक ब्यौरा देना संभव नहीं है।

8. विदेशी मुद्रा में व्यय :-

(लाख रु. में)

व्यय का स्वरूप	2010-11	2009-10
विदेश यात्रा व्यय–निदेशकों का	7.85	3.11
विदेश यात्रा व्यय–अन्यों का	17.37	26.29
जोड़	**25.22**	**29.40**

9. प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य, ऋण और अग्रिम, यदि सामान्य कारोबार के दौरान वसूल किए गए तो वह उस राशि से कम नहीं होंगे जो कि तुलन–पत्र में बताए गए हैं। बहरहाल, तुलन–पत्र में यथा उल्लिखित देनदारों का शेष जिसमें रेलवे देनदारी शामिल है और लेनदारों के बकाया के पुष्टि की जानी है।

10. कर्मचारियों के लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

(i) **उपदान :** उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से अलहदगी पर देय। 10 लाख रु. की उपदान की उच्चतम सीमा के संबंध में बीमांककात्मक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है।

(ii) **छुट्टियों का नकदीकरण :** उन पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्जित छुट्टी एकत्र की है, अलहदगी पर देय। छुट्टी का वेतन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जैसाकि तुलन पत्र तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बनाया जाता है।

(iii) **भविष्य निधि :** कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12 प्रतिशत और कारपोरेशन का समानक अंशदान का लेखा जोखा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है। भविष्य निधि के लिए कॉरपोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(iv) **इतर सेवा अंशदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2010–2011 के लिए मानिंद प्रतिनियुक्तों सहित (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला है) प्रतिनियुक्तों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए देय इतर सेवा अंशदान प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी हित'' पर लेखाकरण मानक (ले.मा.)–15 (संशोधित) के अंतर्गत यथा अपेक्षित, अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

(क) बीमांककात्मक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31.03.2011 को	31.03.2010 को
(i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	8.00 प्रतिशत	8.30 प्रतिशत
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन अश्योड लाइव्ज मोर्टेलिटी (1994–96) विधिवत संशोधित	विधिवत संशोधित एलआईसी (94–96)
(iii)	कटौती दर (प्रति वर्ष)		
	30 वर्ष तक	3	3
	31 से 44 वर्ष तक	2	2
	44 वर्ष से ऊपर	1	1
(iv)	प्लान परिसंपत्तियों पर प्रति–लाभ की अनुमानित दर	0	0
(v)	बीमांककात्मक मूल्यांकन में विचार की गई भावी देयता वृद्धियों के अनुमान में, मुद्रा स्फीति दर, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को लेखे में लेते हैं।		

(ख) बीमांककात्मक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांककात्मक विधि का प्रयोग सेवानिवृत्ति, सेवाकाल के दौरान मृत्यु और निकासी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सर्विस में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

ग) प्लान परिसंपत्तियाँ

(1) प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख रु. में)

		उपदान		छ्ट्टी नकदीकरण	
क)	अवधि के प्रारंभ में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010
ख)	अर्जन समायोजन	–	–	–	–
ग)	प्लान परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–	–	–	–
घ)	अंशदान	723.36	–	92.75	–
ड.)	प्रदत्त लाभ	(8.06)	–	(92.75)	–
च)	प्लान परिसंपत्तियां पर बीमांककात्मक लाभ / (हानि)	0.17	–	–	–
छ)	अवधि के अन्त में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	715.47	–	–	–

(2) प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख रु. में)

		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
क)	अवधि के प्रारंभ में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	**31/03/2011**	**31/03/2010**	**31/03/2011**	**31/03/2010**
ख)	अर्जन समायोजन	–	–	–	–
ग)	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	0.17	–	–	–
घ)	अशंदान	723.36	–	92.75	–
ड.)	प्रदत्त लाभ	(8.06)	–	(92.75)	–
च)	अवधि के अन्त में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	715.47	–	–	–
छ)	रखी गई निधि की स्थिति	164.23	(249.67)	(759 79)	(567.81)
ज)	प्लान परिसंपत्तियों पर अनुमानित लाभ पर वास्तविक की अधिकता	–	–	–	–

(घ) परिभाशित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
1.	1 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	249.67	567.81
2.	वर्तमान सेवा लागत	164.06	90.50
3.	ब्याज लागत	19.65	41.71
4.	बीमांककात्मक लाभ (+) हानि (–)	125.92	152.52
5.	पिछली सेवा लागात	--	--
6.	उठाए गए लाभ	8.06	92.75
7.	31 मार्च, 2011 (i+ii+iii+iv+v+vi) को प्रक्षेपित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (तुलन पत्र में स्वीकृत रकम)	551.24	759.79

(ड.) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधानः

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
1.	अवधि की शुरूआत में स्वीकृत शुद्ध परिसंपति (देयता)	(249.67)	(567.81)
2.	नियोजक का खर्च	(309.46)	(284.73)
3.	नियोजक का योगदान	723.36	92.75
4.	अधिग्रहणी / विग्रहण	--	--
5.	अवधि के अंत में स्वीकृत शुद्ध परिसंपति (देयता) (तुलन पत्र में स्वीकृत रकम)	164.23	(759.79)

(च) 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्ययः

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		2010-11	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**
1.	वर्तमान सेवा लागत	164.06	43.74	90.50	189.27
2.	ब्याज लागत	19.65	7.19	41.71	25.94
3.	बीमांककात्मक लाभ (–) हानि (+)	125.74	98.03	152.52	(16.75)
4.	पिछली सेवा लागत	--	--	--	--
5.	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	--	--	--	--
6.	प्रदत्त लाभ	8.06	3.93	92.75	2.46
7.	जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	301.39	145.03	191.98	196.00
8.	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ व हानि लेखा में प्रभारित	301.39	145.03	191.98	196.00
9.	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	--	--	--	--

11. किसी भी सप्लायर/क्रेडिटर ने यह नहीं बताया है कि वे माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार की कोई मूल/ब्याज की राशि देय नहीं है।

12. 0.06 लाख (पिछले वर्ष 0.24 लाख)रू. मूल्य के उपकरण एवं संयंत्र जिनकी गणना 1रू. प्रति मद के रूप में की गई है, वे कंपनी के पास हैं। वर्श के दौरान, 18 लाख रू. मूल्य के उपकरण एवं संयंत्र रेलवे को लौटाए गए।

13. वर्ष 2010–2011 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए दिनांक 17.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

14. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–18 ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए है :–

संबंध का स्वरूप	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रायल इंडियन रेल टुअर लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक 2. डॉ. नलिन सिंघल, निदेशक (टीएण्डएम) 3. श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (सीएस) 4. श्री वी.आर.गुप्त, निदेशक (वित्त)

लेखाकरण मानक में यथा परिभाषित, कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वर्ष के दौरान लेन–देन का ब्योरा, निम्नलिखित अनुसार है :–

क्र.सं	**लेन–देन का स्वरूप**	**संयुक्त उद्यम**		**मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**	
		31.03.2011 को	**31.03.2010 को**	**31.03.2011 को**	**31.03.2010 को**
1.	निवेश	250.00	250.00	---	---
2.	निवेश में ह्रास का प्रावधान	250.00	---	---	---
3.	अग्रिम लीज किराया	1788.27	1904.79	---	---
4.	लीज किराया प्राप्य	196.65	---	---	---
5.	फुटकर ऋृण दाता	108.38	370.06	---	---
6.	लीज किराया प्राप्य	320.36	---	---	---
7.	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	---	---	108.51	87.56

आईआइसीटीसी के शेयर के निवेश अर्थात् रू. 250.00 लाख के लिए निवेश में ह्रास का प्रावधान किया गया है क्योंकि आरआईआरटीएल के साथ लीज एग्रीमेंट होने तक, मेसर्स काक्स एण्ड किंग्स (इंडिया) लि. के साथ संयुक्त उपक्रम करार और समझौते के ज्ञापन के आधार पर अनंतिम रूप से 320.36 लाख रू. का लीज किराया आय स्वीकृत किया गया है।

15. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–27–''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार, भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी में स्वामित्व हित का कंपनी का शेयर, परिसंपत्तियाँ, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं, पूंजी प्रतिबद्धताएं नीचे दी गई हैं जो आरआईआरटीएल के लिए वर्ष 2010–11 के अनअंकेक्षित अंतरिम परिणामों के आधार पर हैं।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	कंपनी के स्वामित्व	परिसंपत्तियाँ	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धत
1.	रायल इंडियन रेल टुअर लिमिटेड	50 प्रतिशत	1916.76	2766.58	1412.38	2095.68	शून्य	शून्य

16. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ले.मा.28)–''परिसंपत्तियों की हानि'' के अनुसरण में, कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2011 को कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की रखाव रकम में हानि के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

17. लेखाकरण मानक (ले.मा.29) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसरण में, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में किए गए प्रावधान संबधित प्रकटीकरण निम्नलिखितानुसार है :–

विवरण	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों		छुट्टी के बदले नकद भुगतान		उपदान (सेवा निवृत्ति लाभ) के		पेंशन के लिए प्रावधान		पेंशन के लिए प्रावधान	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
अथ शेष	67.13	1.20	567.81	371.81	249.67	104.64	284.17	---	---	---
परिवर्धन	10.77	67.13	284.73	198.46	309.46	148.96	243.8	284.17	373.29	---
उपयोग / योगदान	---	1.20	(92.75)	(2.46)	(723.36)	(3.93)	---	---	---	---
रिवर्सल	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
इति शेष	77.90	67.13	759.79	567.81	(164.23)	249 .67	527.97	284.17	373.29	---

टिप्पणी 1. संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

2. सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

3. पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेने वालों के लिए रू. 373.29 लाख का प्रावधान किया गया है ताकि आईआरसीटीसी रेलवे के बीच पेंशन के अंतर का 100 प्रतिशत परिवर्तन पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सकें।

18. लेखाकरण मानककरण (ए एस 22) के अनुसार – भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आय पर की गणना के लिए, समय के अंतर के कारण होने वाले आस्थगित कर के कारण कर योग्य आय और लेखांकित आय में अंतर के फलस्वरूप 2337.11 लाख का आस्थगित कर परिसंपति हुई है। और अधिक बुद्धिमतापरक नीति को देखते हुए प्रबंधन ने आस्थगित कर को स्वीकृति न देने का निर्णय लिया है। इस परिसंपति की उगाही के संबंध में प्रबंधन निश्चित नहीं है तथा पिछले वर्ष के आस्थगित कर को भी समायोजित किया गया है।

19. लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित अचल केटरिंग स्टालों जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। रेल मंत्रालय के निदेश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अचल केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है। बहरहाल, आईआरसीटीसी और केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों के बीच उनके संबंध में कोई लिखित संविदा मौजूद नहीं है।

यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्धारित पुरानी लाइसेंस या लाइसेंसी से वास्तव में प्राप्त राशि, जो भी अधिक हो के आधार पर कॉरपोरेशन ने ऐसे लाइसेंसधारक केटरिंग स्टालों के संबंध में लेखाकरण मानक (ले.मा.9) के अनुसार आय की पहचान की है :–

20. (क)रेलनीर संयंत्रों के अलावा रेल भूमि पर स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर उठाए गए खर्च को पट्टाधृति सुधार के रूप में लेखा में दिया गया है और 10 वर्ष की अवधि से अधिक तक मूल्यह्रासित किया गया है।

21. आईआरसीटीसी ने नांगलोई और दानापुर रेलनीर संयंत्र की स्थापना के लिए पट्टे के आधार पर रेलवे से भूमि ली है, जिसके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पट्टा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे की नीति के अनुसार पट्टे की अधिकतम अवधि 35 वर्ष की अवधि की हो सकती है जिसका 35 वर्ष की अवधि से आगे नवीकरण किया जा सकता है। नांगलोई और दानापुर में रेलनीर संयंत्रों के भवनों पर मूल्यह्रास निरन्तर अपनाई जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी लाइन पर प्रदान किया गया है। आईआरसीटीसी ने दी गई ऐसी भूमि की अधिकतम पट्टा अवधि की पुष्टि करने के लिए संबंधित रेलवे को लिखा है और जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

22. 20 जुलाई, 2010 तक जब से खानपान–नीति 2010–11 प्रभावी हुई है। मोबाइल पैन्ट्रीकारों के संबंध में 912 लाख रु. (पिछले वर्ष 3,000 लाख रु.) कर्षण प्रभार के रूप में प्रदान किए गए हैं।

23. रेल मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2006 के पत्र सं.2006/एलएमबी/09/03 के द्वारा निदेश दिया है कि केटरिंग तथा वेंडिंग यूनिटों के लिए जल प्रभारों का भुगतान आईआरसीटीसी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। ऐसी इकाई जिसके लिए क्षेत्रीय रेल से बिल प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए विभागीय खानपान इकाई के लिए जलप्रभार टर्न ओवर पर @ 0.1 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। उन विभागीय केटरिंग यूनिटों के लिए बिजली प्रभारों के लिए प्रावधान, जहां बिल संबंधित रेलों से प्राप्त नहीं हुए हैं, वहां इसकी व्यवस्था टर्नओवर के 2.5 प्रतिशत के आधार पर की जा रही है।

24. खंडवार सूचना (ले.मा.–17)**:**

कॉरपोरेशन ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में व्यक्त किया है। खंड की पहचान प्रदान की गयी सेवाओं के स्वरूप, संगठन के ढाँचे और आंतरिक रिपोटिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है।

कॉरपोरेशन के परिचालन मुख्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था करने से संबंधित है :

- लाइसेंसधारक खानपान
- विभागीय खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन
- इंटरनेट टिकटिंग

कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता हैं, जैसाकि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आबंटित किया जाता है जिनकी अलग–अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आबंटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्ययों को अनाबंटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनाबंटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आबंटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनाबंटीय आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनाबंटीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार सूचना

(लाख रु. में)

	लाइसेंसधारक केटरिंग		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय केटरिंग		जोड़	
	2010-11	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**
राजस्व												
आय	30,390.90	35,163.33	16.49	16.3	14292.46	12289.26	6,228.19	4,338.07	145.12	201.12	51073.16	52008.08
बिक्री (उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर छोड़कर)			2,379.39	2,227.01					19,712.82	14,504.54	22092.21	16731.55
अंतर–खंडवार बिक्री			1936.31	1374.56							1936.31	1374.56
रेलयात्री निवास और रेलवे होटल							475.74	134.47			475.74	134.47
बिक्री/आय (बेडरोल एवं सफाई)	1,235.27	1,780.75							0	0.00	1235.27	1780.75
कुल राजस्व	**31,626.17**	**36,944.08**	**2,395.88**	**2,243.31**	**14,292.46**	**12,289.26**	**6,703.93**	**4,472.54**	**19,857.94**	**14,705.66**	**74,876.38**	**70,654.85**
खण्डवार परिणाम	**7,888.60**	**6,481.01**	**272.56**	**897.33**	**9,414.83**	**8,391.94**	**-621.90**	**-281.20**	**-5,546.84**	**-7,474.11**	**11,407.25**	**8,014.98**
अनाबंटित कॉरपोरेट आय												
अनाबंटित कॉरपोरेट व्यय												
संचालन लाभ	**7,888.60**	**6,481.01**	**272.56**	**897.33**	**9,414.83**	**8,391.94**	**-621.90**	**-281.20**	**-5,546.84**	**-7,474.11**	**11,407.25**	**8,014.98**
ब्याज आय			0								1616.46	1541.78
आयकर (आस्थगित कर/एफबीटी शामिल है)											6900.33	3170.74
साधारण कार्य–कलापों से लाभ	7,888.60	6,481.01	272.56	897.33	9,414.83	8,391.94	-621.90	-281.20	-5,546.84	-7,474.11	6,123.38	6,386.02
पूर्व अवधि लाभ (–)/व्यय	0	.								0	0	0
बट्टे खाते डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋृण	9.56	49.59	0	8.1	0	9.44					9.56	67.13
बेची गई परिसंपत्तियों पर हानि	4.86	5.89	0.04	0.18	0.39	6.41			0	1.19	5.29	13.67
ब्याज खर्च											29.9	0
शुद्ध लाभ	**7,874.18**	**6,425.53**	**272.52**	**889.05**	**9,414.44**	**8,376.09**	**-621.90**	**-281.20**	**-5,546.84**	**-7,475.30**	**6,078.63**	**6,305.22**
अन्य सूचना												
खंडवार परिसंपत्तियाँ	53,009.00	44,554.00	2576.34	2881.87	9901.07	11885.43	5303.15	6219.64	-5160.65	-6779.60	65,628.91	58761.34
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसंपत्तियाँ											10,506.98	10927.71
जोड़ परिसपत्तियाँ	**53,009.00**	**44,554.00**	**2,576.34**	**2,881.87**	**9,901.07**	**11,885.43**	**5,303.15**	**6,219.64**	**-5,160.65**	**-6779.60**	**76,135.89**	**69,689.05**
खंडवार देयताएँ	40587.09	34,113.4	511.16	526.06	3898.54	3077.53	601.54	705.5	3438	4516.6	49036.33	42939.09
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएँ											5,958.52	10474.31
जोड़ देयताएँ	**40587.09**	**34,113.40**	**511.16**	**526.06**	**3898.54**	**3,077.53**	**601.54**	**705.5**	**3438**	**4516.6**	**54994.85**	**53413.4**
पूंजीगत खर्च	256.5	336.95	44.79	275.39	283.01	386.78	0	3809.57	340.14	331.23	924.44	5139.92
अनाबंटित कॉरपोरेट पूंजीगत खर्च												-
जोड़ कॉरपोरेट खर्च	**256.5**	**336.95**	**44.79**	**275.39**	**283.01**	**386.78**	**14.37**	**3809.57**	**340.14**	**331.23**	**924.44**	**5139.92**
मूल्यह्रास	196.11	260.98	197.12	158.24	557.97	641.7	340.86	59.86	123.13	133.95	1415.19	1254.73
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यहरास											0	0
जोड़ मूल्यह्रास	**196.11**	**260.98**	**197.12**	**158.24**	**557.97**	**641.7**	**340.86**	**59.86**	**123.13**	**133.95**	**1415.19**	**1254.73**

टिप्पणी :

1. विभागीय केटरिंग जिसमें गैर–रेलवे खानपान शामिल हैं।
2. अंतर खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।

25. प्रतिशेयर आय

प्रति शेयर आय (मूल और कम की गई) के परिकलन के लिए माने गए घटक निम्नलिखितानुसार हैं:–

	2010-11	**2009-10**
गणक (न्यूमरेटर) के रूप में प्रयुक्त शुद्ध लाभ (लाख रु.में)	6078.63	6305.22
हर (डिनोमिनेटर) के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की	200	200
प्रतिशेयर आय–मूल (रु. में)	30.39	31.53
प्रतिशेयर आय–कम की गई (रु.में)	30.39	31.53
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु.में)	10.00	10.00

26. निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित करार अभी निश्पादित किए जाने है :

(क) बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 7वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय परिसर।

निम्नलिखित मामलों में लीज समाप्त हो गई है और उनका नवीकरण किया जाना है:–

(क) पटना में 31.03.2008 को 2300 वर्ग फुट के कार्यालय स्थान।

27. रेल मंत्रालय ने दिनांक 21.07.2010 के पत्र सं.2009/टीजी–111/600/25 के अनुसार खानपान नीति–2010 जारी की है जो निम्नानुसार है :

1. रेलवे सभी चल खानपान सेवाओं जिसमें बेस किचन भी शामिल है, का प्रबंधन क्रमिक रूप से और विभागीय खानपान को चरणबद्ध तरीके से लेगी।

2. इस नीति के अनुसार आईआरसीटीसी पर मुख्यतः फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, फास्ट फूड इकाइयों को चलाने का दायित्व रहेगा।

उक्त नीति के अनुसरण में अधिकांश लाइसेन्सी खानपान व्यापार स्थानांतरित कर दिया गया है अतः इस प्रकार के व्यवसाय से आय को उसी तारीख तक की दिखाया गया है जिस तारीख तक वे रेलवे को सौंपे गए।

28. पिछले वर्ष के आकंड़ो को पुनः व्यवस्थित/पुर्नःवर्गीकृत और सुधारा गया है ताकि आवश्यकता अनुसार इस वर्ष के आंकड़ो के साथ उनकी तुलना की जा सके।

29. I से XXV अनुसूचियाँ तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा का अभिन्न भाग बनती हैं।

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(हस्ता./–)	(हस्ता./–)	(हस्ता./–)	(हस्ता./–
रवि भारद्वाज	**राकेश कुमार टंडन**	**वी.आर.गुप्त**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर, 2011

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन–पत्र सार और कंपनी के कारोबार की रूपरेखा

कारोबार की रूपरेखा

I. पंजीकरण ब्यौरा — राज्य कोड : 55

पंजीकरण सं.	101707
तुलन–पत्र की तारीख	03/31/2011

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रु. में)

पब्लिक इश्यू	राइट इश्यू
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	निजी नियोजन
शून्य	शून्य

III. निधियों के जुटाने और विकास की स्थिति (राशि हजार रु. में)

कुल देयता	कुल परिसंपत्तियाँ
5,613,589	7,613,589

i) निधियों का स्रोत (राशि हजार रु. में)

प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	आस्थगित कर देयता
200,000	1,914,104	0

शेयर उपयोग
शून्य

प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण
शून्य	शून्य

ii) निधियों का उपयोग (राशि हजार रु. में)

शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	निवेश	शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ
756,413	20	0

शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	विविध व्यय	संचयी घाटा	पूंजीगत चालू कार्य
1,194,063	शून्य	शून्य	163,608

IV. कंपनी का कार्य–निष्पादन (राशि हजार रु. में)

अन्य आय सहित कुल कारोबार (टर्नओवर)	कुल व्यय
7,649,284	6,351,388
कर पूर्व लाभ/हानि	करोपरांत लाभ/हानि
1,297,896	607,863
प्रति शेयर आय	लाभांश दर (करोपरांत शुद्ध लाभ का %
30.39	20.00 %

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों के नाम

मद कोड सं.	
सेवाएं	लाइसेंसधारक केटरिंग, इंटरनेट टिकटिंग, रेल नीर, पर्यटन, विभागीय खानपान कारोबार

(हस्ता./–)
राकेश कुमार टंडन
प्रबंध निदेशक

(हस्ता./–)
नीरज कुमार अग्रवाल
कंपनी सचिव

कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–IV
नई दिल्ली

गोपनीय

OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICO MEMBER, AUDIT BOARD- IV
NEW DELHI

सं. 971–पीडीसीए/एमएबी– IV/एचएस/ए/सीएस/आईआरसीटीसी/11–12/2329

दिनांकः 16 सितंबर, 2011

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली।

विषयः 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2011 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेशित करता हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय
(हस्ता./–)
(जोन. के. सेलाटे)
प्रधान निदेशक
वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड– IV

आठवां एवं नौवां तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली –110 002
8th & 9th floor,Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 23239413,23239415,23239419, 23239420 फैक्स/Fax:23239416
ईमेल/Email: mabNewdelhi4@cag.gov.in

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 02 सितंबर, 2011 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसी कोई महत्वपूर्ण विशमता मेरी जानकारी में नहीं आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जाती।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से।

हस्ता./–

(जॉन के. सेलाटे)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक
लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड–IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :16सितम्बर, 2011

दस वर्ष की वित्तीय उपलब्धियां

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2001 - 2002	2002 - 2003	2003 - 2004	2004 - 2005	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	2008 - 2009	2009 - 2010	2010-2011
1	कुल आय (अन्य कर सहित)	9.85	73.61	69.59	127.09	267.98	433.54	527.66	618.77	721.97	764.93
2	व्यय (स्टाक में वृद्धि/कमी सहित)	8.56	63.57	60.14	115.55	232.96	398.22	486.12	536.68	614.63	620.99
3	परिचालनिक मार्जिन	1.29	10.04	9.45	11.54	35.02	35.32	41.54	82.09	107.34	144.24
4	ब्याज खर्च	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0
5	मूल्यह्रास	0.03	0.90	3.03	3.61	3.39	5.32	8.28	10.10	12.55	14.15
6	कर पूर्व लाभ	1.25	9.14	6.42	7.93	31.63	30.00	33.26	73.85	94.76	129.79
7	कर बाद लाभ	0.83	5.55	4.12	5.21	19.78	20.23	20.75	46.50	63.05	60.79
8	लाभांश	0.20	1.20	1.00	1.00	4.00	4.00	4.15	9.31	12.61	12.16
9	इतर परियोजनाएं आरक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सामान्य आरक्षित	0.20	2.50	2.50	2.50	14.00	12.00	16.00	35.00	45.00	45.00
11	अन्य आरक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00
12	आरक्षित एवं सरप्लस	0.85	5.02	8.01	12.10	27.32	42.96	58.85	94.46	142.76	191.41
13	शुद्ध नियत परिसंपति (ग्रास ब्लाक)	0.36	4.11	22.80	25.33	31.01	41.61	61.38	76.36	126.84	135.18
14	वस्तु सूची	0	0	1.74	3.73	7.20	5.97	5.73	5.19	7.79	6.21
15	विदेश विनिमय आय	0	0	0	0	0	0	0.45	30.85	13.48	13.27
16	शेयर पूंजी	20.23	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
17	पूंजी नियोजित	20.33	14.18	27.76	31.75	48.92	63.19	80.53	103.87	151.72	195.05
18	सरकारी निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नेट वर्थ	20.97	24.98	27.47	31.79	47.24	62.96	78.85	114.46	162.76	211.41
20	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ	6.15	64.46	23.13	24.98	64.66	47.48	41.30	71.10	62.46	66.54
21	नियोजित पूंजी पर परिचालनिक मार्जिन	6.35	70.80	34.04	36.35	71.59	55.89	51.58	79.03	70.75	73.95
22	शेयर पूंजी पर कर के बाद लाभ	4.10	27.75	20.60	26.05	98.90	101.15	103.75	232.50	315.25	303.95
23	आय पर व्यय	86.90	86.36	86.42	90.92	86.93	91.85	92.13	86.73	85.13	81.18
24	कर्मचारियों की संख्या	19	45	1318	2146	5616	5246	4963	3780	2645	1934
25	प्रति कर्मचारी आय	0.52	1.64	0.05	0.06	0.05	0.08	0.11	0.16	0.27	0.40
26	प्रति कर्मचारी विदेश विनिमय अर्जन	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01
27	वर्तमान अनुपात	2.59	1.22	1.13	1.16	1.14	1.13	1.12	1.13	1.13	1.22
28	डेब्ट/इक्विटी अनुपात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	निवेश	0	0	0	0	0	0	0	2.50	2.50	0